वार्षिक रिपोर्ट
2004-2005

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
नई दिल्ली

जोजीला में बर्फ सुरंग

विषय-सूची

अध्याय		पृष्ठ
I	परिचय	1
II	वर्ष एक दृष्टि में	4
III	सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा	9
IV	अनुसंधान और विकास	14
V	सड़क विकास	19
VI	पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	27
VII	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	32
VIII	नई पहल	37
IX	सीमा सड़क संगठन	39
X	राजभाषा नीति का अनुपालन	49
XI	प्रशासन एवं वित्त	51
XII	सतर्कता	54
XIII	संगठन एवं पद्धति और लोक शिकायत निवारण	55
XIV	विभागीय लेखा संगठन और ढांचा	56
XV	विविध	58

परिशिष्ट

परिशिष्ट I	निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण (बी ओ टी) परियोजनाओं की सूची	59
परिशिष्ट II	देश में राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची	62
परिशिष्ट III	विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्यवार निधियों का आबंटन	64
परिशिष्ट IV	सीमा सड़क विकास बोर्ड का संगठन चार्ट	66
परिशिष्ट V	महानिदेशक, सीमा सड़क मुख्यालय का संगठन चार्ट	67
परिशिष्ट VI	राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की ओर	68
परिशिष्ट VII	सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण	71
परिशिष्ट VIII	वर्ष 2003-04 के लिए अनुदानों के संबंध में बचत/आधिक्य की स्थिति	72
परिशिष्ट IX	वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के लिए निधियों के स्रोत	73
परिशिष्ट X	वर्ष 2003-04 के दौरान निधियों का प्रयोग	74
परिशिष्ट XI	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सारांश	75

रा.रा.–4 पुणे

अध्याय I

परिचय

सितम्बर, 2004 में तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा पोत परिवहन मंत्रालय का विलय करके पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन किया गया जिसमें दो विभाग हैं अर्थात् पोत परिवहन विभाग तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग।

1.1.2 श्री टी आर बालु ने 26 मई, 2004 को पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। श्री के एच मुनियप्पा ने 25 मई, 2004 को राज्यमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

1.1.3 सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग को मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, मोटरयान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के प्रशासन तथा पड़ोसी देशों के साथ वाहन यातायात के आवागमन के लिए व्यवस्था करने के अतिरिक्त, सड़क परिवहन, पर्यावरण संबंधी मामलों, ऑटोमोटिव मानकों आदि के लिए व्यापक नीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार है ।

1.1.4 हमारे देश में 3.32 मिलियन कि.मी. लंबा विशाल सड़क नेटवर्क है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,95,000 कि.मी. है। सन् 1950-51 में माल और यात्री यातायात क्रमशः 12% और 31.6% था और दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक माल और यात्री यातायात के बढ़कर क्रमशः 65% और 87% हो जाने का अनुमान है। सड़कों पर यातायात प्रतिवर्ष 7-10% की दर से बढ़ रहा है जबकि विगत कुछ वर्षों में वाहनों की संख्या में प्रतिवर्ष 12% की दर से तेजी से वृद्धि हुई है। इसलिए सड़क नेटवर्क में तेजी से विस्तार और सुदृढ़ीकरण न केवल यातायात की मात्रा में भारी वृद्धि के लिए बल्कि पृष्ठ भूभागों तक सुगम्यता में सुधार के लिए भी आवश्यक है। यद्यपि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 65,569 कि.मी. है, जिसके लिए यह विभाग उत्तरदायी है, और यह कुल सड़क लंबाई का केवल 1.98% है किंतु इस पर 40% यातायात होता है। माल और यात्रियों की तेजी से और किफायती रूप से परिवहन के लिए राजमार्गों का शीघ्र सुधार किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा खपत में अधिक बचत, प्रदूषण में कमी तथा सड़क सुरक्षा में वृद्धि के लिए सड़क यातायात को विनियमित किए जाने की आवश्यकता है।

1.1.5 विगत में सड़क अवसंरचना में और विशेषकर राजमार्गों में सरकार द्वारा ही निवेश किया जाता था जिसका मुख्य कारण अत्यधिक मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता, परियोजनाओं की लंबी निर्माण अवधि, अनिश्चित प्रतिलाभ तथा इनसे जुड़े अनेक बाहरी कारण थे। अभी हाल में, संसाधनों की तेजी से बढ़ती आवश्यकता तथा प्रबंधकीय दक्षता संबंधी सरोकार एवं उपभोक्ता सजगता के फलस्वरूप निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी हुई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ने राजमार्ग क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कर रियायत और सड़क निर्माण उपस्कर एवं मशीनरी के निःशुल्क आयात जैसे अनेक प्रोत्साहन देने के अलावा व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश तैयार किए हैं। बड़ी सड़क परियोजनाओं के लिए आदर्श रियायत करारों को भी अंतिम रूप दिया गया है।

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा
Sadak Suraksha Jeevan Raksha

अहमदाबाद–वड़ोदरा एक्सप्रैस मार्ग चरण-I पर निर्माण कार्य

1.1.6 निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) आधार पर अनेक पथकर आधारित परियोजनाएं तैयार की गई हैं । भारी मात्रा में अग्रिम रूप में पूंजी निवेश और राजस्व वसूली में अत्यधिक जोखिम को निजी क्षेत्र की भागीदारी में अवरोध समझा जाता है। इसके समाधान के लिए सरकार ने अनेक प्रोत्साहन देने के साथ-साथ कुछ परियोजनाएं वार्षिकी आधार पर भी देने का निर्णय लिया है। वार्षिकी भुगतान स्कीम के तहत बी ओ टी परियोजनाओं के लिए एक रियायत करार को अंतिम रूप दिया गया है और अनेक परियोजनाएं इस स्कीम के अंतर्गत शुरू की गई हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विशेष प्रयोजन तंत्र (एस पी वी) भी तैयार किया है।

1.1.7 केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 1 रु. प्रति लीटर की दर से उपकर लगाकर एक समर्पित गैर-व्यपगत निधि अर्थात् केंद्रीय सड़क निधि की स्थापना की है। वर्ष 2003-04 के केंद्रीय बजट में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 50 पैसे प्रति लीटर की दर से अतिरिक्त उपकर लगाया गया है। इस निधि से धनराशि का वितरण राष्ट्रीय राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों से भिन्न राज्यीय सड़कों, ग्रामीण सड़कों, रेल उपरि पुलों/नीचे पुलों के निर्माण तथा अन्य सुरक्षा कार्यों के लिए किया जाता है। इस विभाग को केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास हेतु राज्यों के लिए धनराशि अनुमोदित करने और जारी करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग सड़क और पुलों के लिए मानक और विनिर्देश तैयार करने तथा सड़कों और पुलों के संबंध में तकनीकी ज्ञान के भंडार के तौर पर कार्य करने के लिए भी जिम्मेदार है।

1.1.8 यह विभाग, देश के सड़क सुरक्षा रिकार्ड में सुधार की आवश्यकता को भी महसूस करता है। सड़क सुरक्षा के तीन पहलू हैं - इंजीनियरी, प्रवर्तन और शिक्षा। राष्ट्रीय राजमार्गों के डिजाइन स्तर पर ही इंजीनियरी पहलू पर ध्यान दिया जाता है। प्रवर्तन तंत्र संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के हाथ में होता है। शिक्षाप्रद पहलू पर ध्यान प्रिंट, श्रव्य तथा दृश्य-श्रव्य मीडिया में प्रचार करके दिया जाता है जिनमें राज्य और गैर सरकारी संगठन शामिल होते हैं।

अध्याय II

वर्ष एक दृष्टि में

सड़क परिवहन

पहले से ही लागू हैं और 1 जून, 2004 से ये मानक शोलापुर और लखनऊ में भी लागू कर दिए गए हैं। ये मानक 1 अप्रैल, 2005 को और इसके बाद विनिर्मित सभी चौपहिया वाहनों के लिए देश भर में लागू होंगे।

2.1.2 इसी प्रकार, भारत स्टेज-III उत्सर्जन मानक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, बंगलौर, हैदराबाद/सिकंदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर और आगरा में 1 अप्रैल, 2005 से लागू होंगे।

2.1.3 देश भर में कंप्यूटरीकृत और अंतर प्रचालनीय स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए स्मार्ट कार्ड की परिभाषा और स्मार्ट कार्ड एवं संबंधित मामलों के लिए संक्षिप्त विनिर्देश निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित मानक साफ्टवेयर राज्यों को निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। मानक साफ्टवेयर फार्मेट, स्मार्ट कार्ड और संबंधित मामलों के लिए सामान्य विनिर्देश तथा स्मार्ट कार्ड आधारित प्रचालन व्यवस्था के लिए कार्यपद्धति प्रोटोकाल तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकारों ने स्मार्ट कार्ड आधारित दस्तावेज जारी करना पहले ही प्रारंभ कर दिया है। अन्य राज्यों द्वारा भी इसका अनुकरण किए जाने की संभावना है।

2.1.4 देश भर में 3 से 9 जनवरी, 2005 तक 16वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस बार इसका प्रसंग था - "सड़क सुरक्षा का मतलब कोई दुर्घटना नहीं"। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी वर्ष 2004 को सड़क सुरक्षा वर्ष घोषित करते समय इसी विषय का चयन किया था।

2.1.5 यूनाइटेड स्कूल्स आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के माध्यम से सड़क सुरक्षा विषय पर 13वीं अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता और वाहन प्रदूषण विषय पर आठवीं अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही हैं। ये प्रतियोगिताएं 9-12वीं कक्षा के स्कूली बच्चों के लिए हैं।

2.1.6 सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए कुल 114 गैर सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की गई है।

2.1.7 असंगठित क्षेत्र में भारी वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत 43,000 से अधिक चालकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है जब कि 2003-04 के दौरान 30,015 चालक प्रशिक्षित किए गए थे।

2.1.8 राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के दौरान गैर सरकारी संगठनों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 90 एम्बुलेंस और 61 क्रेनें स्वीकृत की गईं हैं जब कि वर्ष 2003-04 के दौरान 61 एम्बुलेंस और 60 क्रेनें स्वीकृत की गई थीं।

2.1.9 28 जनवरी, 2005 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की आठवीं बैठक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के परिवहन मंत्रियों, पुलिस महानिदेशकों, परिवहन प्रचालक संगठनों के प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों और सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों ने बैठक में भाग लिया। इस बैठक में अनेक उपयोगी सुझाव/विचार सामने आए जिन पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

सड़क विकास

2.1.10 सरकार ने देश में एक विशाल राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना प्रारंभ की है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I और चरण-II देश में अब तक शुरू की गई विशालतम राजमार्ग परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 64,639.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 14,279 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6 लेन का बनाए जाने का प्रस्ताव है। यह परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

2.1.11 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I और चरण-II के निम्नलिखित घटक हैं -

- कुल 5,846 कि.मी. लंबे स्वर्णिम चतुर्भुज में चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, चेन्नै और कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। 30 नवंबर, 2004 की स्थिति के अनुसार 4203 कि.मी. में पहले ही चार लेन बनाने का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है और शेष लंबाई में यह कार्य चल रहा है। तीन परियोजनाओं को छोड़कर स्वर्णिम चतुर्भुज दिसंबर 2005 तक पूरा हो जाएगा।

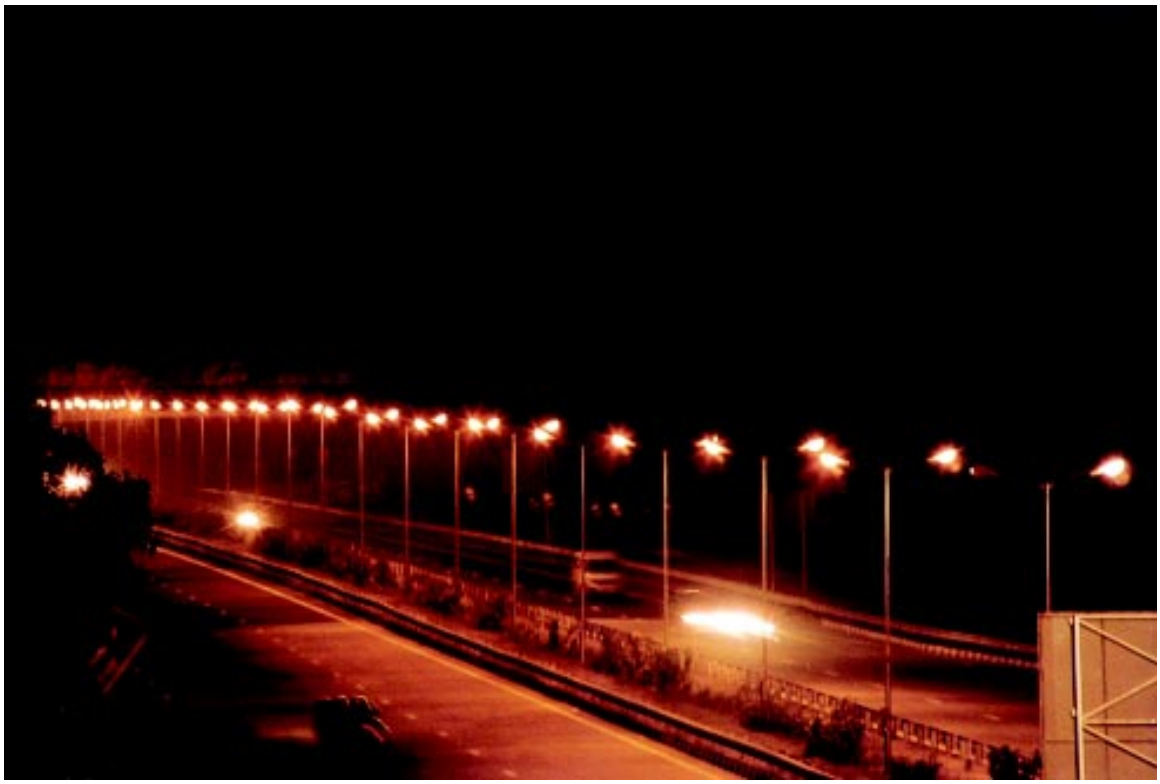

अहमदाबाद–वड़ोदरा एक्सप्रैस मार्ग

- कुल 7300 कि.मी. लंबे उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग में श्रीनगर को कन्याकुमारी (कोचीन-सलेम खंड सहित) से और सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। 30 नवंबर, 2004 की स्थिति के अनुसार 675 कि.मी. में 4/6 लेन बनाने का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है और 388 कि.मी. में यह कार्य चल रहा है। उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्गों की शेष लंबाई में यह कार्य जून, 2005 तक सौंपा जाना है। उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्गों को दिसम्बर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 12 महापत्तनों के लिए सड़क संपर्क की व्यवस्था हेतु लगभग 356 कि.मी. लंबी सड़कों और 777 कि.मी. लंबे अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बना रहा है। 30 नवंबर, 2004 की स्थिति के अनुसार पत्तन संपर्क के लिए लगभग 69 कि.मी. सड़कों और 194 कि.मी. लंबे अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

2.1.12 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी) के अलावा लगभग 41,290 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण बजट से उपलब्ध निधियों से किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर गुणता सुधार, 2 अथवा 4 लेन बनाने, सुदृढ़ीकरण, बाइपासों के निर्माण, पुलों की मरम्मत/निर्माण जैसे विभिन्न विकास कार्य शुरू किए गए हैं। वर्ष 2004-05 में 30 नवंबर, 2004 तक 615.322 करोड़ रु0 लागत के 264 प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं। कुल 221 कि.मी. लंबी एकल लेन की सड़क को दो लेन का बनाया गया है, 264 कि.मी. को सुदृढ़ करने और 29 पुलों की मरम्मत/निर्माण का कार्य 31 अक्तूबर, 2004 तक पूरा कर लिया गया।

2.1.13 एशियाई विकास बैंक की ऋण सहायता से पश्चिम बंगाल में 1085.7 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से बारासत (31 कि.मी.) से रानीगंज (398 कि.मी.) रा.रा. 34 का विकास शुरू किया गया है। यह परियोजना मार्ग के दोनों ओर 1.5 मीटर पेव्ड शोल्डर के विस्तार, विद्यमान मार्ग के सुदृढ़ीकरण, शहरी खंडों को चार लेन का बनाकर, 7 सड़क उपरिपुलों और 2 बड़े पुलों का निर्माण करके रा रा 34 के लगभग 369 कि.मी. खंड के सुधार और क्षमता विस्तार के लिए है। 263 कि.मी. के लिए प्राप्त तकनीकी निविदाओं की जांच की जा रही है जब कि शेष 104 कि.मी. के लिए तकनीकी निविदाओं की जांच कर ली गई है और एशियाई विकास बैंक द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। इस परियोजना को जून, 2007 तक पूरा किया जाना है।

2.1.14 सरकार द्वारा सड़क विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कर में छूट, सड़क निर्माण उपस्कर और मशीनरी के शुल्क मुक्त आयात जैसे अनेक प्रोत्साहनों की पहले ही घोषणा कर दी गई है। 4527.16 करोड़ रु. मूल्य की पथकर आधारित कुल 30 परियोजनाएं निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर शुरू की गई हैं। इनमें से 21 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं और 9 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। भारी अग्रिम पूंजी निवेश और राजस्व वसूली में अत्यधिक जोखिम निजी क्षेत्र की भागीदारी में प्रमुख बाधाएं हैं। इसके समाधान के लिए सरकार ने कुछ परियोजनाएं वार्षिकी आधार पर सौंपने का निर्णय लिया है। वार्षिकी आधार पर सौंपी गई 2354 करोड़ रु. मूल्य की 8 परियोजनाएं प्रगति पर हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भी सड़क परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विशेष प्रयोजन तंत्र (एस पी वी) तैयार किया है। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एस पी वी की अलग विधिक पहचान है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इक्विटी/ऋण के रूप में कुछ नकद सहायता देता है जब कि शेष धनराशि पत्तनों/वित्तीय संस्थानों/लाभग्राही संगठनों से

चेन्नै–बंगलौर खंड पर बिटुमन कार्य

इक्विटी/ऋण के रूप में प्राप्त होती है। सड़कों/राजमार्गों के विकास पर खर्च की गई राशि निर्धारित रियायत अवधि में पथकर के जरिए वसूल की जानी होती है। 2139 करोड़ रु. की 11 परियोजनाएं एस पी वी विधि से वित्तपोषण के लिए अभिनिर्धारित की गई हैं। एस पी वी वित्तपोषण आधार पर 713 करोड़ रु0 मूल्य की 4 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं और 7 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। बी ओ टी/ वार्षिकी/एस पी वी वित्तपोषित परियोजनाओं की सूची **परिशिष्ट-I** में दी गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान

2.1.15 रिपोर्ट अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान, राजमार्ग इंजीनियरों के प्रशिक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इस संस्थान ने 41 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 903 इंजीनियरों ने भाग लिया। इसने निम्नलिखित प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए :-

- प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना की कार्यान्वयन एजेंसियों के मुख्य इंजीनियरों और अधीक्षण इंजीनियरों के लिए ग्रामीण सड़कें।
- ग्रामीण इंजीनियरी सेवा के इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के लिए जीवन शैली पाठ्यचर्या।

- उड़ीसा लोक निर्माण विभाग के इजीनियरों के लिए राजमार्ग परियोजनाओं में गुणता नियंत्रण।
- नम्य मार्गों की डिजाइन, निर्माण और अनुरक्षण।
- असम लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के लिए पुल इंजीनियरी।
- उड़ीसा लोक निर्माण विभाग राजमार्ग परियोजनाओं के इजीनियरों के लिए कंप्यूटर अनुप्रयोग।
- राइट्स के प्रबंधकों के लिए फेडरेशन इंटरनेशनल ड़ेज इंजीनियर्स कौंसिल प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के महाप्रबंधकों, उप महाप्रबंधकों और प्रबंधकों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम।
- उड़ीसा लोक निर्माण विभाग के इजीनियरों के लिए राजमार्ग परियोजनाओं में अनुबंध प्रबंधन और विवाद समाधान।
- भुवनेश्वर, उड़ीसा में पुल निरीक्षण, पुनर्वास और अनुरक्षण व्यवस्था।

अध्याय III

सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा

सड़क परिवहन

माल और यात्रियों की आवाजाही के लिए सड़क परिवहन को सर्वाधिक पसंद किया जाता है। दसवीं योजना अवधि में, अनुमान है कि यात्री यातायात का 87% और माल यातायात का 65% आवागमन सड़क मार्ग से होगा। आसानी से उपलब्धता, व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलता और किफायती यात्रा इसके कुछ प्रमुख लाभ हैं। रेल, नौवहन और हवाई यातायात के लिए यह एक पूरक सेवा का कार्य करती है।

3.1.2 यह विभाग पड़ोसी देशों के साथ वाहन यातायात के आवागमन के लिए व्यवस्था करने के अतिरिक्त सड़क परिवहन के लिए व्यापक नीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

3.1.3 विभाग के सड़क परिवहन प्रभाग में निम्नलिखित अधिनियमों/नियमावलियों का प्रशासन किया जाता है जो मोटर वाहनों और राज्य सड़क परिवहन निगमों से संबंधित नीतिगत दस्तावेज हैं।

- मोटरयान अधिनियम, 1988
- केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989
- सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950
- वाहक अधिनियम, 1865

3.1.4 सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण में गिरावट और सुरक्षा पहलू चिंता का विषय बन गया है। चूंकि वाहन उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण होता है, कठोर उत्सर्जन मानक कोडीकृत किए गए हैं और उन्हें लागू किया जा रहा है।

3.1.5 भारत स्टेज-I उत्सर्जन मानक जो यूरो-I मानक के समान हैं, पूरे देश में लागू हैं। भारत स्टेज-II उत्सर्जन मानक जो यूरो-II मानक के समान हैं और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, आगरा, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद/सिकंदराबाद कानपुर, पुणे और सूरत में दुपहिया और तिपहिया वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों के लिए लागू किए गए थे, इन्हें 1 जून, 2004 से शोलापुर और लखनऊ में भी लागू कर दिया गया है। ये मानक 1 अप्रैल, 2005 को और इसके बाद विनिर्मित सभी चार पहिया वाहनों के लिए पूरे देश में लागू होंगे। इसी तारीख से दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए अगली पीढ़ी के उत्सर्जन मानक लागू हो जाएंगे।

3.1.6 भारत स्टेज-III उत्सर्जन मानक जो यूरो-III मानक के समान हैं, 1 अप्रैल, 2005 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, बंगलौर, सिकंदराबाद/हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर और आगरा में चारपहिया वाहनों के लिए लागू हो जाएंगे।

3.1.7 यह विभाग एक स्कीम चला रहा है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रदूषण जांच उपस्करों की वास्तविक लागत की 75% प्रतिपूर्ति के तौर पर केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित स्कूली बच्चों की सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली

3.1.8 यह विभाग स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से वाहन प्रदूषण नियंत्रण के बारे में जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से अनेक कार्य कर रहा है। इन कार्यों में सम्मेलन, कार्यशाला व प्रशिक्षण कार्यक्रम, निबंध प्रतियोगिता, होर्डिंग लगाना, प्रचार सामग्री का मुद्रण तथा प्रिंट, श्रव्य एवं दृश्य-श्रव्य मीडिया का इस्तेमाल भी शामिल है।

3.1.9 केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून में प्रतिवर्ष कार्यशाला व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें राज्य परिवहन विभागों के अधिकारियों को परिवहन प्रबंधन व्यवस्था और पर्यावरण पहलूओं के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है।

3.1.10 28 जनवरी, 2005 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की आठवीं बैठक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के परिवहन मंत्रियों, पुलिस महानिदेशकों, परिवहन प्रचालक संगठनों के प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों और सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों ने बैठक में भाग लिया। इस बैठक में अनेक उपयोगी सुझाव/विचार सामने आए जिन पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

केंद्रीय मोटरयान नियमावली में संशोधन

3.1.11 विभाग ने केंद्रीय मोटरयान नियमावली में कतिपय संशोधन किए हैं।

- चार पहिया वाहनों के संबंध में भारत स्टेज II उत्सर्जन मानक 1 जून, 2004 से लखनऊ और शोलापुर में अधिसूचित {दिनांक 10 मार्च, 2004 की अधिसूचना सं. सा. का.नि. 200 (अ)} कर दिए गए हैं।

- ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के लिए स्मार्ट कार्ड की परिभाषा और स्मार्ट कार्ड व संबंधित मामलों के लिए विनिर्देश निर्धारित किए गए हैं। {दिनांक 10 अगस्त, 2004 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 513 (अ)}
- 1 अप्रैल, 2005 को और उसके बाद विनिर्मित चार पहिया वाहनों के संबंधं में भारत स्टेज-III उत्सर्जन मानक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, बंगलौर, सिकंदराबाद/ हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर और आगरा में लागू कर दिए गए हैं। {दिनांक 20 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 686 (अ)}
- विभिन्न ऑटोमोटिव पुर्जो के लिए सुरक्षा मानक निर्धारित किए गए हैं {दिनांक 13 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 1365 (अ)}।

सड़क सुरक्षा

3.1.12 सड़क दुर्घटनाओं की संख्या न्यूनतम करने के लिए सड़क सुरक्षा नीतियां तैयार करने हेतु तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय में सितंबर, 1986 में सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। प्रकोष्ठ द्वारा तैयार की गई और प्रबंधित महत्वपूर्ण स्कीमों में प्रचार कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के आयोजन के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम, असंगठित क्षेत्र में भारी वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण, ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना के लिए सहायता अनुदान आदि शामिल हैं।

3.1.13 वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए :-

- विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से इलेक्ट्रानिक और प्रिन्ट मीडिया में एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में सड़क सुरक्षा संबंधी संदेश के साथ कलैंडर का मुद्रण, रेडियो झलकियों का प्रसारण, कंप्यूटरीकृत सजीव प्रदर्शन, आदि शामिल है। इसके अलावा, दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर सड़क सुरक्षा संबंधी टी.वी. झलकियां प्रसारित की जा रही हैं। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विभिन्न भाषाओं में झलकियों का प्रसारण किया जा रहा है ताकि सड़क सुरक्षा के संबंध में व्यापक जागरूकता लाई जा सके। कलैंडर, पेम्फलेट, पोस्टर, स्टीकर आदि प्रचार सामग्री वितरण के लिए गैर-सरकारी संगठनों और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन एवं पुलिस प्राधिकारियों को प्रदान की जाती है।

- सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए 114 गैर-सरकारी संगठनों के लिए सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया।

- राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संगठनों, वाहन निर्माताओं, राज्य सड़क परिवहन निगमों आदि के सहयोग से 3 से 9 जनवरी, 2005 तक 16वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस बार इसका प्रसंग था "सड़क सुरक्षा का मतलब कोई दुर्घटना नहीं"।

- असंगठित क्षेत्र में भारी वाहनों के चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत 43,000 से अधिक चालकों को प्रशिक्षित किए जाने की संभावना है जब कि पिछले वर्ष 30,015 चालकों को प्रशिक्षण दिया गया था।

असंगठित क्षेत्र में चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों द्वारा भारी मोटर वाहन चालकों के लिए आयोजित चिकित्सा जांच

- माडल ड्राइवर्स ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों/गैर सरकारी संगठनों को सहायता दी जा रही है और केरल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में 3 नई स्वीकृतियां दी गई हैं।

- राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और गैर सरकारी संगठनों को क्रेन और एंबुलेंस प्रदान की जा रही हैं ताकि दुर्घटना स्थल को साफ किया जा सके और दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को निकटतम चिकित्सा केंद्र में ले जाया जा सके। चालू वर्ष में कुल 90 एंबुलेंस और 61 क्रेनें प्रदान किए जाने की संभावना है जबकि गत वर्ष 64 एंबुलेंस और 61 क्रेनें प्रदान की गई थीं।

- यूनाइटिड स्कूल्स ऑरगेनाइजेशन, नई दिल्ली के माध्यम से 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए सड़क सुरक्षा संबंधी अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता और वाहन प्रदूषण संबंधी अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई।

- तीन वर्गों के लिए अर्थात् पर्वतीय वर्ग, शहरी वर्ग और नगरेतर वर्ग (दो पुरस्कार) में राज्य सड़क परिवहन निगमों को परिवहन मंत्री की ट्राफी प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार में 1.50 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, ट्राफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। वर्ष 2003-04 के लिए नगरेतर वर्ग में उत्तर पूर्व कर्नाटक परिवहन निगम और शहरी वर्ग के लिए बंगलौर महानगर परिवहन निगम और पर्वतीय वर्ग के लिए हिमाचल राज्य सड़क परिवहन निगम विजेता रहे। उड़ीसा राज्य सड़क परिवहन निगम को द्वितीय सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए नगरेतर वर्ग में 50,000/-रु0 का नकद पुरस्कार दिया गया।

- सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य के लिए गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। गैर सरकारी संगठन वर्ग के लिए पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए और व्यक्तियों के वर्ग में यह राशि 50,000 रु. है। उपविजेता के लिए गैर सरकारी वर्ग के अंतर्गत 30,000 रु. और व्यक्ति वर्ग के अंतर्गत 15,000 रु. है।

पूर्वोत्तर राज्यों में पहल

3.1.14 जिन 114 गैर सरकारी संगठनों को सड़क सुरक्षा कार्यक्रम संपन्न करने के लिए अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है उनमें से 17 पूर्वोत्तर राज्यों के हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के तहत प्रदान किए जाने के लिए संभावित 90 ऐंबुलेंस और 61 क्रेनों में से कुल 17 ऐंबुलेंस और 6 क्रेनें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रस्तावित हैं।

अध्याय IV

अनुसंधान और विकास

सड़क विकास

सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का मुख्य बल एक टिकाऊ अवसंरचना का निर्माण करना है जिसकी तुलना विश्व की सर्वोत्तम अवसंरचना से की जा सके। इस नीति के विभिन्न घटकों में डिजाइन में सुधार, निर्माण तकनीक का आधुनिकीकरण, नवीनतम प्रवृत्ति के अनुरूप बेहतर सामग्री का प्रयोग, बेहतर और उपयुक्त विशिष्टियों का विकास, विकास को प्रोत्साहित करना और नई प्रौद्योगिकी आदि का उपयोग शामिल है। इनका प्रचार प्रसार नए दिशा निर्देशों, प्रथा संहिताओं, अनुदेशों/परिपत्रों, अत्यधुनिक रिपोर्टों के संकलन तथा सेमिनार/प्रस्तुतिकरण आदि के जरिए किया जाता है। विभाग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान स्कीम सामान्यतः " अनुप्रयुक्त " स्वरूप की होती है जिसके पूरे हो जाने पर प्रयोक्ता/एजेंसी/विभाग उसे अपने कार्य क्षेत्र में अपना सकेंगे। इन क्षेत्रों में सड़क, सड़क परिवहन, पुल, यातायात और परिवहन तकनीक आदि आते हैं। स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए विभाग विभिन्न अनुसंधान, शैक्षिक संस्थाओं, विश्व विद्यालयों की सहायता लेता है।

4.1.2 2004-05 के दौरान अनुसंधान और विकास के लिए 790 लाख रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

2003-2004 के दौरान पूरी की गई अनुसंधान और विकास स्कीमें

सड़कें

- फालिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर का इस्तेमाल करके पूर्वी भारत में पेवमेंटों का अवसंरचनात्मक मूल्यांकन - (आर - 81)
- प्राथमिक, गौण और शहरी सड़कों के अनुरक्षण प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना- (आर - 82)

यातायात और परिवहन

- राजमार्गों पर क्षमता विस्तार विकल्पों का मूल्यांकन (आर - 73)

स्कीमें जो पूरी होने वाली हैं

सड़कें

- सड़क चिह्नांकन और सड़क संकेतों के लिए प्रदीप्त रंगों का विकास (आर - 40)
- रा रा 2 के कानपुर-वाराणसी खंड पर बिटुमन परत में परावर्तक दरार को रोकने के लिए भीतरी परत के तौर पर भू-सिंथेटिक पेवमेंट रीइनफोर्सिंग फैब्रिक का प्रयोग (आर - 63)

पुल

- केबल आधारित पुल डेकों की एरोडायनैमिक स्थायित्व के लिए अध्ययन (बी - 25)
- देश में उपलब्ध सामग्री से बने पुलों और पेवमेंटों के लिए उच्च निष्पादन कंक्रीट के इस्तेमाल के लिए विशिष्टियों का मसौदा तैयार करना - (बी - 32)

चालू वर्ष में चल रही शेष स्कीमें

सड़कें

- पेवमेंट की ऊपरी परत के निष्पादन सुधार में भू सिन्थेटिक्स की भूमिका (आर - 41)

पुल

- उच्च धारा त्वरण के अंतर्गत बाउल्ड्री बेडों में स्कोर डेप्थ का निर्धारण (जनरल बेड, चैनल कंट्रेक्शन और पुल पीयर्स) - (बी - 33)

विचाराधीन प्रस्ताव

सड़कें

- पेवमेंट कठोरता मापन उपस्करों के मूल्यांकन का अध्ययन और उनमें सह संबंध का विकास।
- देश में सड़क व्यवस्था के विकास के क्षेत्र में मंत्रालय की प्रमुख भूमिका।
- सड़क ज्यामिति और भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के प्राथमिक सड़क नेटवर्क की सतह की स्थिति के संबंध में डाटाबेस का विकास।
- अंतर नगरीय राजमार्ग कोरिडोर के लिए पर्यावरण प्रदूषण अध्ययन।
- कार्य निष्पादन आधारित बिटुमन मिश्रित डिजाइन का विकास।

यातायात और परिवहन

- सुरक्षित और पर्यावरणीय अनुकूलता की दृष्टि से पैदल यात्री सुविधाओं के डिजाइन मानक।
- भारतीय स्थितियों के अंतर्गत गोल चक्कर/चौराहे पर क्षमता वृद्धि सहित यातायात प्रचालन का अध्ययन।

पुल

- प्री-डोमिनेंटली क्लेई स्ट्रेटा में स्कोर का निर्धारण।
- विभिन्न भूकंपीय क्षेत्रों में पुलों के लिए रेट्रोफिटिंग के लिए दिशानिर्देशों का मूल्यांकन।
- भारत की गंभीर पर्यावरण परिस्थितियों में टिकाऊपन की दृष्टि से कंक्रीट पर विभिन्न प्रकार की परतों का निष्पादन मूल्यांकन।

- भारतीय परिस्थितियों में विभिन्न ग्रेड के ढांचागत कंक्रीट में फ्लाई ऐश के अलग-अलग प्रतिशत के साथ मिश्रित पोर्टलैंड पोजालाना सीमेंट और सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट के प्रयोग की साध्यता का अध्ययन तथा संबंधित दिशानिर्देश/विनिर्देश तैयार करना।
- पुलों की अवशिष्ट क्षमता के आकलन के लिए स्टेटिक और डायनेमिक प्रतिक्रिया परीक्षण डाटा का प्रयोग करके क्षति अभिज्ञान विधि तैयार करना।
- राजमार्ग पुलों के लिए मानक डिजाइन और योजनाएं तैयार करना तथा विभिन्न किस्म के सुपर स्ट्रक्चर के लिए विद्यमान मानक रूपरेखा की समीक्षा।
- विद्यमान लाइव लोड को युक्तिसंगत और उदार बनाने के लिए उपलब्ध धुरी भार सर्वेक्षण डाटा के साथ वास्तविक समय यातायात डाटा का संकलन और विश्लेषण तथा पुलों की डिजाइन के लिए आंशिक भार कारक तैयार करना।
- स्टील कंक्रीट कंपोजिट बाक्स गर्डर पुलों की डिजाइन के लिए पृष्ठभूमि सामग्री तैयार करना।
- नवीन तकनीक का प्रयोग करके राष्ट्रीय राजमार्ग पुलों का नैदानिक क्षरण निरीक्षण।
- गोवा में पुराने और नए मंडोवी पुलों की आगे मॉनिटरिंग।

परिवहन अनुसंधान

4.1.3 परिवहन अनुसंधान पक्ष, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विभिन्न पक्षों को अपेक्षित अनुसंधान सामग्री तथा डाटा सहायता और विश्लेषण प्रदान करने के लिए अधिदेशाधीन

देवनहल्ली में पूर्ण रा.रा. खंड

एजेंसी है। परिवहन अनुसंधान पक्ष नीति नियोजना, परिवहन के विभिन्न साधनों के कार्य निपाष्दन के समन्वय और मूल्यांकन में सहायता प्रदान करता है।

4.1.4 परिवहन अनुसंधान पक्ष सड़कों, सड़क परिवहन, पत्तनों, नौवहन, जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत तथा अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्रों से संबंधित डाटा के संग्रहण, संकलन, वितरण और विश्लेषण के लिए नोडल पक्ष है। यह पक्ष डाटा बेस के निर्माण और सुदृढ़ीकरण, सूचना अंतर के अभिनिर्धारण तथा डाटा सामग्री की विश्वसनीयता और यथार्थता में सुधार के लिए उपाय सुझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

4.1.5 परिवहन अनुसंधान पक्ष, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की एजेंसियों सहित विभिन्न स्रोतों से डाटा एकत्रित करता है। विविध स्रोतों से प्राप्त सूचना की जांच की जाती है तथा निरंतरता और तुलनीयता के लिए उसे स्वीकार्य बनाया जाता है और परिवहन क्षेत्र के महत्वपूर्ण पहलूओं को शामिल करते हुए तिमाही और वार्षिक प्रकाशन के लिए संकलित किए जाते हैं।

4.1.6 वर्ष 2004-05 में परिवहन अनुसंधान पक्ष ने बेसिक सड़क सांख्यिकी, 2000-2002 प्रकाशित की है जिसे 31 मार्च, 2002 तक अद्यतन बनाया गया है। यह प्रीमियर प्रकाशन है जिसमें राष्ट्रीय और राज्यीय स्तर पर देश में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों, जिला सड़कों और ग्रामीण सड़कों जैसी विभिन्न श्रेणी की सड़कों के संबंध में व्यापक आंकड़े शामिल हैं।

4.1.7 परिवहन अनुसंधान पक्ष ने सड़क परिवहन के क्षेत्र में जून, सितंबर, दिसंबर, 2003 को समाप्त तिमाहियों और वर्ष 2003-04 के लिए राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा प्रकाशित की है। इन समीक्षाओं में राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के प्रचालन और वित्तीय मापदंड से संबंधित विस्तृत डाटा हैं ताकि उनके भौतिक और वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन किया जा सके।

4.1.8 इसके अतिरिक्त, इस वर्ष 31 मार्च, 2003 को समाप्त अवधि के लिए अद्यतन भारत की मोटर परिवहन सांख्यिकी प्रकाशित की गई है। इस प्रकाशन में देश में पंजीकृत मोटर वाहनों की संख्या, पंजीकृत मोटर वाहनों के राज्यवार ब्योरे, निजी, माल और यात्री वाहनों के मोटर वाहन कराधान की दरें, राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के भौतिक और वित्तीय निष्पादन शामिल हैं। 'भारत की मोटर परिवहन सांख्यिकी - 2003-04' के प्रकाशन का कार्य शुरू हो गया है।

4.1.9 परिवहन अनुसंधान पक्ष, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा के संबंध में किए गए कार्यों और प्रयासों से पूरी तरह जुड़ा है। यह पक्ष इंप्लीमेंटेशन ऑफ एशिया पेसिफिक रोड एक्सीडेंट डाटाबेस/भारतीय सड़क दुर्घटना डाटाबेस के संबंध में एशिया और पेसिफिक के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की परियोजना पर चल रहे कार्य के लिए नोडल एजेंसी है। इस परियोजना के एक भाग के तौर पर राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और चुनिंदा शहरों से दुर्घटना आंकड़े और 2002 के लिए आंकड़े एकत्रित करने के लिए विस्तृत फार्मेट तैयार किए गए हैं। वर्ष 2003 के लिए आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। इस परियोजना के सफल परिणाम एशियाई पेसिफिक क्षेत्र में अन्य देशों में प्रतिकृति के लिए अनुरुप होंगे। परिवहन अनुसंधान पक्ष सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त अध्ययन भी कर रहा है।

संरक्षण दीवार का निर्माण कार्य

अध्याय V

सड़क विकास

यह विभाग मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सभी सड़कें संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती हैं। तथापि, राज्य सरकारों को उनके सड़क विकास कार्यक्रम में सहायता करने के लिए तथा अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की कुछ चुनिंदा राज्यीय सड़कों के लिए भी केंद्र सरकार केंद्रीय सड़क निधि से धनराशि प्रदान करती है। यह विभाग सड़कों और पुलों के संबंध में तकनीकी सूचना संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करने के अलावा देश में सड़कों और पुलों के लिए मानक व विनिर्देश तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार है।

5.1.2 30 नवम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 65,569 कि.मी. है। राज्यों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की एक सूची **परिशिष्ट** - II में दी गई है।

5.1.3 राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में क्षमता की कमी, मार्ग की बाह्य सतह, ज्यामिती और सुरक्षा कारकों जैसी विभिन्न कमियां हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय यह अनुमान लगाया गया था कि विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से कमियों को दूर करने के लिए लगभग 1,65,000 करोड़ रु. की आवश्यकता होगी। उपलब्ध संसाधनों के अंदर वर्तमान राजमार्गों को चौड़ा और सुदृढ़ करके, पुलों का पुनर्निर्माण/चौड़ा करके और चुनिंदा आधार पर बाइपासों का निर्माण करके राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार किया जा रहा है। यद्यपि, सरकार राजमार्ग क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए अधिक बजट आबंटन उपलब्ध करा रही है और उच्च सघनता वाले मार्गों को उन्नत बनाने के लिए गंभीर प्रयास शुरू किए गए हैं, अन्य क्षेत्रों विशेषतः सामाजिक क्षेत्रों से धनराशि की बढ़ती मांग के कारण पर्याप्त धनराशि आबंटित कर पाना संभव नहीं हुआ है। अन्य स्रोतों से धनराशि जुटाकर वित्तीय बाधाएं दूर करने के लिए सड़क विकास के भौतिक कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र की धनराशि से कुछ हद तक संसाधनों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण

5.1.4 वर्ष 2004-2005 के लिए राज्य सरकारों और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 1782 करोड़ रु. और अनुरक्षण के लिए 745.56 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं जिसमें पुलों (स्थायी पुल शुल्क निधि) पर प्रयोक्ता प्रभारों की वसूली से प्राप्त राजस्व से राज्यों को किया गया आबंटन शामिल है। वर्ष 2004-2005 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और अनुरक्षण संबंधी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्य-वार आबंटन **परिशिष्ट** - III में दिया गया है।

5.1.5 2004-05 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 5058 करोड़ रु0 और अनुरक्षण के लिए 70 करोड़ रु. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा
Sadak Suraksha Jeevan Raksha

आबंटित किए गए हैं। चालू वर्ष में 30 नवम्बर, 2004 तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने विभिन्न परियोजनाओं पर जिनमें विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं शामिल हैं, 4250.72 करोड़ रु. खर्च किए।

पत्तन संपर्क परियोजनाएं

5.1.6 देश के आर्थिक विकास में पत्तन महत्वपूर्ण अवसंरचना होते हैं। माल के तेजी से परिवहन के लिए अच्छी सड़कों द्वारा पत्तनों को अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों से जोड़ा जाना महत्वपूर्ण है। अतः दिसंबर, 2000 में यह निर्णय लिया गया था कि देश के सभी 12 महापत्तनों अर्थात् कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टणम, चेन्नै, तूतीकोरिन, कोचीन, मंगलौर, मुरगांव, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुंबई और कांडला के लिए सड़क सुविधा के विकास और उन्नयन किया जाए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कांडला पत्तन को जोड़ने के लिए एक परियोजना पहले से की कार्यान्वित कर रहा था और इसे पूरा कर लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को शेष 11 पत्तनों को जोड़ने की जिम्मेदारी भी दी गई है।

5.1.7 एन एच ए आई द्वारा किए गए प्राथमिक अध्ययन से पता लगा कि मुंबई और कोलकाता पत्तन को जोड़ने वाली सड़कों के उन्नयन/सुधार की कोई संभावना नहीं है क्योंकि ये पत्तन महानगरों के भीड़ वाले क्षेत्रों में स्थिति हैं। अतः शेष 9 पत्तनों के लिए परियोजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया है। कोलकाता पत्तन के लिए सड़क संपर्क के विकास की साध्यता की समीक्षा की जा रही है।

5.1.8 वाणिज्यिक आधार पर पत्तन संपर्क परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक रणनीति के तौर पर एन एच ए आई ने सरकार की ओर से एन एच ए आई इक्विटी के साथ 9 विशेष प्रयोजन तंत्रों (एस पी वी) की स्थापना की है। एस पी वी विशिष्ट परियोजनाओं के लिए रियायतग्राही हैं। इन 9 परियोजनाओं में कुल लगभग 1888 करोड़ रु0 की लागत से ऊपरि पुलों/भूमिगत मार्गों, जहां आवश्यक हो, आदि सहित 328 कि.मी. सड़कों का विकास/उन्नयन शामिल है। संबंधित पत्तन न्यासों, राज्य सरकारों, विकास प्राधिकरणों और नगर पालिका निकायों आदि से इक्विटी/उप-ऋण प्रदान करके परियोजनाओं में भाग लेने का अनुरोध किया गया है। इन 9 परियोजनाओं के लिए एन एच ए आई से लगभग 531 करोड़ रु0 का कुल इक्विटी अंशदान मिलने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्ताव है कि एन एच ए आई इन परियोजनाओं के लिए उपऋण के रूप में लगभग 412 करोड़ रु0 प्रदान करेगी। एस पी वी में अन्य भागीदारों से लगभग 239 करोड़ रु0 का कुल इक्विटी अंशदान और उप ऋण मिलने की संभावना है। शेष धनराशि बाजार ऋण से जुटाई जाएगी।

5.1.9 मुरगावं पत्तन संपर्क सड़क के विकास से संबंधित कार्य 13.1 कि.मी. खंड में पूरा हो चुका है। शेष 5 कि.मी. खंड का कार्य राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन का कार्य पूरा होने के बाद ही शुरू किया जा सकता है। इसके लिए धनराशि जारी कर दी गई है। जवाहर लाल नेहरू पत्तन (पेकेज -I - रा.रा. 4 बी और रा.रा. 4 की 30 कि.मी लंबाई) और पैकेज -II (राज्यीय राजमार्ग - 54 का 6/400 से 14/550 कि.मी., आमरा मार्ग, पनवेल क्रीक पुल की 14 कि.मी. लंबाई), विशाखापत्तनम (12 कि.मी. लंबाई), हल्दिया पत्तन (53 कि.मी. लंबाई), कोचीन पत्तन (10 कि.मी. लंबाई), पारादीप पत्तन (77 कि.मी. लंबाई) और तूतीकोरिन पत्तन (47 कि.मी. लंबाई) के लिए संपर्क सड़क के विकास का कार्य चल रहा है। चेन्नै पत्तन संपर्क परियोजना (30 कि.मी. लंबाई) से संबंधित 7 कि.मी. लंबे इन्नौर एक्सप्रैस मार्ग पर समुद्री संरक्षण कार्य के लिए सिविल कार्य चल रहे हैं।

सड़क निर्माण में यंत्रीकरण और आधुनिक उपस्करों का प्रयोग

5.1.10 यह आवश्यक है कि सड़क निर्माण और अनुरक्षण में उच्च श्रेणी मानकों के लिए आधुनिक और परिष्कृत मशीनों का उपयोग किया जाए। विभाग ने निर्माण और अनुरक्षण कार्य के लिए आधुनिक और परिष्कृत मशीनें शामिल करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं -

- ड्रम मिक्स प्लांटस, हाइड्रोस्टेटिक सेंसर पेवर फिनीशर, डीजल जेनरेटर सेट्स, ट्रिपर, डोजर्स आदि की खरीद की गई है और इस मशीनरी की मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, मिजोरम, उत्तरांचल और सक्किम में आपूर्ति की गई है। 2004-05 में पूर्वोत्तर राज्यों को एक्सकेवेटर-कम-लोडर, रोड रोलर और क्रेन जैसी कुछ और मशीनों की आपूर्ति की जाएगी।
- वित्त मंत्रालय से परामर्श करके निजी ठेकेदारों, जिन्हें सड़क कार्य सौंपे गए हैं, को शुल्क मुक्त आयात से 21 सड़क निर्माण मशीनें खरीदने की अनुमति दी गई है।
- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर कार्य करने वाले ठेकेदार उपस्कर और सड़क निर्माण सामग्री पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क छूट भी प्राप्त कर सकते हैं।
- पुलों के अनुरक्षण और रखरखाव को सुनिश्चित करने और क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत के लिए तमिलनाडु, उड़ीसा और गुजरात में चल पुल निरीक्षण यूनिट (एम बी आई यू) तैनात किए गए थे। उत्तरी/पूर्वोत्तर राज्यों को आपूर्ति के लिए 2005-06 में खरीद के लिए दो और चल पुल निरीक्षण यूनिट प्रस्तावित हैं।

दिल्ली–जयपुर बाइपास चरण-II पर निर्माण कार्य

केंद्रीय सड़क निधि

5.1.11 सड़क अवसंरचना के लिए संसाधन जुटाने हेतु 1998-99 के केंद्रीय बजट में पेट्रोल पर 1 रुपये प्रति लीटर की दर से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने का प्रावधान किया था। बाद में 1999-2000 के केंद्रीय बजट में हाई स्पीड डीजल पर 1 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया। 2003-04 के केंद्रीय बजट में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 50 पैसे प्रति लीटर अतिरिक्त उपकर लगाया गया। उपकर से प्राप्त राजस्व का उपयोग सभी प्रकार की सड़कों के वित्तपोषण में किया जाएगा। इस निधि को केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 द्वारा सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है।

5.1.12 वर्ष 2004-05 के लिए केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 5361 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है जिसके ब्योरे निम्नलिखित हैं -

तालिका 5.1

केंद्रीय सड़क निधि से आबंटन

(करोड़ रु.)

राज्यीय सड़कों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	868.00
अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	96.00
राष्ट्रीय राजमार्ग	1848.00
ग्रामीण सड़कें	2148.00
रेलवे	401.00
जोड़	**5361.00**

- राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निर्धारित निधियां राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आबंटित की जा रही हैं।
- राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के विकास के लिए राज्यों को राज्यीय सड़कों के लिए निधियां संवितरित कर दी गई हैं।
- वर्ष 2004-05 के लिए 30 नवम्बर, 2004 तक केंद्रीय सड़क निधि से राज्यीय सड़कों के विकास हेतु 589.14 करोड़ रु. के कुल 272 कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

विजयवाड़ा–इलूरू खंड

अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कें

5.1.13 मई, 1954 में शुरू की गई अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों की इस स्कीम का उद्देश्य अंतर्राज्यीय सुविधाओं को बढ़ावा देना तथा अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों और पुलों के निर्माण के माध्यम से राज्य सरकारों के आर्थिक विकास में उनकी सहायता करना भी है। इस समग्र स्कीम में अंतर-राज्य सड़क संपर्क स्कीम और आर्थिक महत्व की सड़क स्कीम नामक दो उप - स्कीमें शामिल हैं। तथापि, वित्तीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय ऋण सहायता से निर्माण कार्यों के संतुलित कार्य ही स्वीकृत किए गए। यह स्कीम अब केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार संचालित की जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत अंतर्राज्यीय संपर्क परियोजनाओं के लिए 100% अनुदान और आर्थिक महत्व की परियोजनाओं के लिए 50% अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। मौजूदा वित्त वर्ष में इस उद्देश्य के लिए 96 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं। 2001-02 तक अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़क/पुल परियोजनाओं के लिए सैद्धांतिक रूप से 494.54 करोड़ रु. के प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया है जिसमें केंद्र की 391.40 करोड़ रु. की भागीदारी है।

सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत उपाय

5.1.14 सुनामी लहरों के दिसंबर, 2004 में दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में टकराने के कारण जान-माल और सड़क तंत्र तथा पुलों की व्यापक क्षति हुई। विभाग से अधिकारियों के पांच दलों ने सड़क अवसंरचना की क्षति का आकलन करने के लिए 30 दिसंबर 2004 से 3 जनवरी, 2005 तक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सुनामी प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। लगभग

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा
Sadak Suraksha Jeevan Raksha

160 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग और 520 कि.मी. राज्यीय सड़कें, 14 पुल और 78 पुलियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्यीय सड़कों की मरम्मत की कुल लागत लगभग 200 करोड़ रु. (अल्पावधि उपायों के लिए 31.5 करोड़ रु. और दीर्घकालीन उपायों के लिए 168.5 करोड़ रु.) निर्धारित की गई है।

- विभाग द्वारा एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया जिसने 28 दिसंबर, 2004 से 28 जनवरी, 2005 तक कार्य किया। यह नियंत्रण कक्ष सभी संबंधित फील्ड एजेंसियों सहित अन्य मंत्रालयों के साथ संपर्क में था।

- संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में कराईकल के नजदीक रा.रा. 45क पर अरासलार पुल क्षतिग्रस्त हुआ था। यातायात को तुरंत चालू करने के लिए एक बेली पुल बनाया गया है। स्थायी उपाय के रूप में मौजूदा पुल के बराबर में एक पुल का निर्माण किया जाना है।

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी सड़क तंत्र और पुलों को भारी क्षति पहुंची है। पुनरुद्धार कार्यों के लिए अंडमान और निकोबार सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग ने 6 पावर सॉ, 8 जेनरेटर, 20 वाटर पंप, 6000 मीटर जी आई पाइप, 10 प्लेट कम्पेक्टर, 100 मिट्रिक टन सीमेंट, 100 पीस आर सी सी ह्यूम पाइप, 10 हैंड रैमर, 500 मीटर फलेक्सिबल होज, 1000 मीटर ई आर डब्ल्यू स्टील पाइप इत्यादि की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया था। ये वस्तुएं वायुयान/जलयान द्वारा भेज दी गई थीं।

रा.रा.-8 का दिल्ली–जयपुर खंड

तमिलनाडु में पझयार नदी पर बने 160 मीटर लंबे पुल की अधिसंरचना को सुनामी लहरों द्वारा बहा दिया गया था। निम्नलिखित राहत उपाय किए गए थे - एक अस्थाई इस्पात पुल के प्रतिस्थापन तक एक फेरी सेवा चलाना, और यातायात को तुरंत चालू करने के लिए 6 सप्ताह के अंदर एक अस्थाई इस्पात पुल को प्रतिस्थापित करना। इसके अतिरिक्त, डेढ़ वर्ष के अंदर एक स्थाई पुल का निर्माण किया जाना भी प्रस्तावित है।

राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण

5.1.15 राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। केंद्र और राज्य सरकारों के एक सहयोगी निकाय के तौर पर 1983 में स्थापित इस संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य प्रवेश स्तर पर और सेवा काल में राजमार्ग इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना है।

5.1.16 इस संस्थान ने नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अपने के परिसर से कार्य करना शुरू कर दिया है। इसके पास एक केंद्रीय वातानुकूलित ऑडीटोरियम, कान्फ्रेंस और सेमिनार हाल, लेक्चर हाल, एक पुस्तकालय, कम्प्यूटर केंद्र और प्रशिक्षु हॉस्टल है जिसमें भोजन और स्टाफ क्वार्टरों की सुविधा है।

व्यापक कार्य

राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान के व्यापक कार्य इस प्रकार हैं :-

- विभाग के नवनियुक्त राजमार्ग इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना।
- वरिष्ठ और मध्य स्तरीय इंजीनियरों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन।
- वरिष्ठ स्तर के इंजीनियरों के लिए अल्पकालीन तकनीकी और प्रबंधन विकास पाठ्यक्रम।
- स्वदेशी और विदेशी भागीदारों के लिए प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास।

5.1.17 राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान ने अपने प्रारंभ से 31 दिसम्बर, 2004 तक 416 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सड़क विकास के कार्य में लगे 9565 राजमार्ग और पुल इंजीनियर और प्रशासक प्रशिक्षित किए हैं। ये प्रतिभागी विभाग, राज्य लोक निर्माण विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र के संगठनों तथा राजमार्ग इंजीनियरी के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों से आते हैं। इसने इंजीनियरों और उनके संगठनों के लिए लाभप्रद अनेक मैनुअलों का संकलन भी किया है।

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा
Sadak Suraksha Jeevan Raksha

रा.रा.-52 का निर्माण कार्य

अध्याय VI

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

यह विभाग पूर्वोत्तर क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर विशेा ध्यान दे रहा है और इसके लिए कुल आबंटन का 10% निर्धारित किया जाता है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 6975 कि.मी. है और इनका विकास और अनुरक्षण तीन एजेंसियों अर्थात् राज्य लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। 6975 कि.मी. की कुल लंबाई में से लगभग 3350 कि.मी. सीमा सड़क संगठन के पास है और 2866 कि.मी. संबंधित राज्य लो.नि. विभागों के पास है। असम में 759 कि.मी. की शेष लंबाई एन एच डी पी के पूर्व-पश्चिम महामार्ग के अंतर्गत आती है जिसका कार्यान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

6.1.2 30 नवम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 456.56 करोड़ रु. के 146 योजनागत कार्य (बी आर ओ कार्यों को छोड़कर) प्रगति पर थे। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 284.28 करोड़ रु. के 151 कार्य प्रगति पर हैं। इसके अलावा, केंद्र द्वारा प्रायोजित आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय संपर्क सड़क स्कीम के अंतर्गत राज्यीय सड़क सुधार के लिए 99.95 करोड़ रु. के 25 कार्य चल रहे हैं।

6.1.3 राज्य लोक निर्माण विभाग के पास रा.रा. की कुल 2866 कि.मी. लंबाई में से 2519 कि.मी. में पहले ही सुधार किया जा चुका है अथवा किया जा रहा है।

6.1.4 पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यों के राज्यवार ब्योरे नीचे दिए गए हैं -

अरूणाचल प्रदेश

6.1.5 राज्य में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं अर्थात् 52ए, 52 और 153, जिनकी कुल लंबाई 421 कि.मी. है। प्रति लाख आबादी पर राष्ट्रीय राजमार्ग सघनता अखिल भारत के 6.4 के औसत के मुकाबले में 35.6 है।

6.1.6 30 नवम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार चालू वर्ष में स्वीकृत 7.70 करोड़ रु. के दो कार्यों सहित 19.70 करोड़ रु. के 7 सुधार कार्य चल रहे हैं। अभी तक राज्य लोक निर्माण विभाग के पास 32.6 कि.मी. की कुल लंबाई में से 26 कि.मी. की लंबाई में सुधार कार्य पहले ही कर लिए गए हैं अथवा विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत किए जा रहे हैं।

6.1.7 चालू वर्ष में रा.रा. विकास के लिए 6 करोड़ रु. के आबंटन के मुकाबले में नवम्बर, 2004 तक व्यय 2.66 करोड़ रु. था।

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा
Sadak Suraksha Jeevan Raksha

6.1.8 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अब तक राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 64.20 करोड़ रु. के 22 कार्य शुरू किए गए हैं। राज्य सरकार ने केंद्रीय सड़क निधि में जमा कुल 51.75 करोड़ रु. में से 28.14 करोड़ रु. का उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त, केंद्र द्वारा प्रायोजित अंतर्राज्यीय संपर्क सड़क स्कीम के अंतर्गत 13.58 करोड़ रु. का एक कार्य चल रहा है जिसके मार्च, 2005 तक पूरे हो जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा प्रायोजित आर्थिक महत्व की सड़क संपर्क स्कीम के अंतर्गत 2003-04 में सैद्धांतिक रूप में 3.2 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के दो कार्य अनुमानित किए गए थे। राज्य सरकार से प्राक्कलन प्राप्त किए जाने हैं।

असम

6.1.9 राज्य में 21 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं अर्थात् 31बी, 31सी, 31, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62, 151, 152, 153 और 154, जिनकी कुल लंबाई 2786 कि.मी. है। प्रति लाख आबादी पर राष्ट्रीय राजमार्ग सघनता 10.7 है।

6.1.10 30 नवम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार चालू वर्ष में स्वीकृत 37.55 करोड़ रु. के 12 सुधार कार्यों सहित 147.17 करोड़ रु. के 41 सुधार कार्य चल रहे हैं।

6.1.11 चालू वर्ष में रा.रा. विकास के लिए 71.01 करोड़ रु. के आबंटन के मुकाबले में नवम्बर, 2004 तक व्यय 30.22 करोड़ रु. था। अब तक राज्य लोक निर्माण विभाग की अधिकारिता में कुल 1234 कि.मी. लंबाई में से 1159 कि.मी. लंबाई में पहले ही सुधार किया जा चुका है अथवा विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सुधार किया जा रहा है।

6.1.12 श्रीरामपुर में असम-पश्चिम बंगाल सीमा से प्रारंभ होकर असम में गुवाहाटी, नागौन और सिलचर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों जिनमें 31, 31सी, 37, 36 और 54 शामिल हैं, की 732 कि.मी. लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के पूर्व-पश्चिम महामार्ग के अंतर्गत आती है। इस कार्य को मार्च, 2005 तक सौंपे जाने की संभावना है और 2007 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

6.1.13 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अब तक राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 105.97 करोड़ रु. के 54 कार्य शुरू किए गए हैं। राज्य सरकार ने 2003-04 तक केंद्रीय सड़क निधि में जमा कुल 59.65 करोड़ रु. में से 46.21 करोड़ रु. का उपयोग किया है। इससे 29.23 करोड़ रु. के 23 कार्य पूरे हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र द्वारा प्रायोजित आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय संपर्क सड़क स्कीम के अंतर्गत 10.37 करोड़ रु. के 3 कार्य चल रहे हैं जिनके अगस्त, 2004 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

मणिपुर

6.1.14 राज्य में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं अर्थात् 39, 53, 150 और 155 जिनकी कुल लंबाई 976 कि.मी. है। प्रति लाख आबादी पर राष्ट्रीय राजमार्ग सघनता 40 है।

6.1.15 30 नवम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार चालू वर्ष में स्वीकृत 1.16 करोड़ रु. के 3 कार्यों सहित 72.46 करोड़ रु. के 22 सुधार कार्य चल रहे हैं।

6.1.16 चालू वर्ष में रा.रा. विकास के लिए 14 करोड़ रु. के आबंटन के मुकाबले में नवम्बर, 2004 तक व्यय 4.95 करोड़ रु. था। अब तक कुल 283 कि.मी. लंबाई में से 269 कि.मी. लंबाई में पहले ही सुधार किया जा चुका है अथवा विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सुधार किया जा रहा है।

6.1.17 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अब तक 21.45 करोड़ रु. के 9 कार्य शुरू किए गए हैं और जमा कुल 12.57 करोड़ रु. में से 6.32 करोड़ रु. का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा प्रायोजित आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के अंतर्गत 2003-04 में सैद्धांतिक रूप से 5 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर एक कार्य अनुमोदित किया गया है। राज्य से प्राक्कलन प्रतीक्षित है।

मेघालय

6.1.18 राज्य में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं अर्थात् 40, 44, 51 और 62 जिनकी कुल लंबाई 799 कि.मी.है। प्रति लाख आबादी पर राष्ट्रीय राजमार्ग सघनता 35.2 है।

6.1.19 30 नवम्बर, 2004 तक चालू वर्ष में स्वीकृत 14.72 करोड़ रु. के 6 कार्यों सहित 101.33 करोड़ रु. के 37 सुधार कार्य चल रहे हैं।

6.1.20 रा.रा. विकास के लिए 23 करोड़ रु. के आबंटन के मुकाबले में नवम्बर, 2004 तक व्यय 4.70 करोड़ रु. था। अब तक कुल 519 कि.मी. लंबाई में से 508 कि.मी. लंबाई में पहले ही सुधार किया जा चुका है।

6.1.21 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अब तक 33.87 करोड़ रु. के 17 कार्य शुरू किए गए हैं। राज्य सरकार ने जमा कुल 21.02 करोड़ रु. में से 18.11 करोड़ रु. का उपयोग किया है। इससे 10.01 करोड़ रु. के 6 कार्य पूरे हो गए हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के अंतर्गत 4.29 करोड़ रु. की अनुमानित लागत का एक कार्य चल रहा है।

मिजोरम

6.1.22 राज्य में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं अर्थात् 44ए, 54, 54ए, 54बी, 150 और 154 जिनकी कुल लंबाई 915 कि.मी. है। प्रति लाख आबादी पर राष्ट्रीय राजमार्ग सघनता 103 है।

6.1.23 30 नवम्बर, 2004 तक चालू वर्ष में स्वीकृत 8.31 करोड़ रु. के 4 कार्यों सहित 79.98 करोड़ रु. के 24 सुधार कार्य चल रहे हैं। अब तक राज्य लोक निर्माण विभाग की अधिकारिता में कुल 328 कि.मी. लंबाई में से 311 कि.मी. लंबाई में पहले ही सुधार किया जा चुका है अथवा विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सुधार किया जा रहा है।

6.1.24 चालू वर्ष में रा.रा. विकास के लिए 22 करोड़ रु. के आबंटन के मुकाबले में नवम्बर, 2004 तक व्यय 8.68 करोड़ रु. था।

6.1.25 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 21.18 करोड़ रु. के 23 सुधार कार्य शुरू किए गए हैं और राज्य सरकार ने जमा कुल 14.11 करोड़ रु. में से 12.57 करोड़ रु. का उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय संपर्क सड़क स्कीम के अंतर्गत 19.83 करोड़ रु. के 4 कार्य चल रहे हैं। केंद्र द्वारा प्रायोजित आर्थिक महत्व की राज्यीय सड़क स्कीम के अंतर्गत 2003-04 में सिद्धांततः 5.39 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर अनुमोदित एक कार्य चल रहा है।

नगालैंड

6.1.26 राज्य में 5 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं अर्थात् 36, 39, 61, 150 और 155 जिनकी कुल लंबाई 594 कि.मी. है। प्रति लाख आबादी पर राष्ट्रीय राजमार्ग सघनता 24.7 है।

6.1.27 30 नवम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार चालू वर्ष में स्वीकृत 3.91 करोड़ रु. के 2 कार्यों सहित 35.92 करोड़ रु. के 15 सुधार कार्य चल रहे हैं।

6.1.28 चालू वर्ष में रा.रा. विकास के लिए 14 करोड़ रु. के आबंटन के मुकाबले में नवम्बर, 2004 तक व्यय 6.16 करोड़ रु. था। अब तक कुल 246 कि.मी. लंबाई में पहले ही सुधार किया जा चुका है अथवा विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सुधार किया जा रहा है।

6.1.29 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अब तक राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 16.82 करोड़ रु. के 8 कार्य शुरू किए गए हैं। राज्य सरकार ने जमा कुल 11.79 करोड़ रु. में से 10.24 करोड़ रु. का उपयोग किया है। इससे 4.72 करोड़ रु. के 3 कार्य पूरे हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय संपर्क सड़क स्कीम के अंतर्गत 20.34 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के 3 कार्य चल रहे हैं इनमें से 2 कार्यों के मार्च, 2005 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

सिक्किम

6.1.30 राज्य में केवल एक राष्ट्रीय राजमार्ग है अर्थात् 31ए, जिसकी लंबाई 40.5 कि.मी.है और इसे सीमा सड़क संगठन को सौंप दिया गया है। प्रति लाख आबादी पर राष्ट्रीय राजमार्ग सघनता 8.1 है।

6.1.31 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 7.57 करोड़ रु. के 11 कार्य शुरू किए गए हैं। राज्य सरकार ने जमा कुल 5.34 करोड़ रु. में से 4.49 करोड़ रु. का उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त, आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय संपर्क सड़क स्कीम के अंतर्गत 13.47 करोड़ रु. के 4 कार्य चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक महत्व की सड़क स्कीम के अंतर्गत 2003-04 में सिद्धांततः 9.99 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर स्वीकृत एक कार्य चल रहा है।

त्रिपुरा

6.1.32 राज्य में दो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं अर्थात् 44 और 44ए जिनकी कुल लंबाई 442 कि.मी. है और इन्हें सीमा सड़क संगठन को सौंप दिया गया है। प्रति लाख आबादी पर राष्ट्रीय राजमार्ग सघनता 12.5 है।

6.1.33 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अब तक राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 13.22 करोड़ रु. के 6 कार्य शुरू किए गए हैं। राज्य सरकार ने जमा कुल 9.25 करोड़ रु. में से 5.28 करोड़ रु. का उपयोग किया है। आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय संपर्क सड़क स्कीम के अंतर्गत 1.33 करोड़ रु. का एक कार्य चल रहा है जिसके मार्च, 2005 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

अध्याय VII

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोओपरेशन की ऋण सहायता से अनेक परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। ऋण की सहमत राशि क्रमशः 1345 मिलियन अमरीकी डालर , 950 मिलियन अमरीकी डालर और 32,060 मिलियन येन है।

तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना

7.1.2 तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना अथवा टी एन एच पी (एल एन 4559 - इन) के लिए जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कुल 477 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को चार लेन का बनाया जा रहा है, विश्व बैंक के साथ अगस्त, 2000 में एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस ऋण की कुल राशि 516 मिलियन अमरीकी डालर है। इस परियोजना में पायलट रोड कॉरीडोर प्रबंधन और सड़क सुरक्षा कार्य और संस्थागत सुदृढ़ीकरण एवं प्रशिक्षण भी शामिल है। सिविल कार्य प्रगति पर हैं। इस परियोजना के जून, 2006 तक पूरा होने की संभावना है।

ग्रांड ट्रंक रोड सुधार परियोजना (जी टी आर आई पी)

7.1.3 ग्रांड ट्रंक रोड सुधार परियोजना (जी टी आर आई पी) के अंतर्गत 589 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ जुलाई, 2001 में एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों में 422 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को चार लेन का बनाया जाना है। सिविल कार्यों के लिए ठेके प्रगति पर हैं। इस परियोजना के दिसंबर, 2006 तक पूरा होने की संभावना है।

इलाहाबाद बाइपास परियोजना

7.1.4 इलाहाबाद बाइपास परियोजना उत्तर प्रदेश में रा.रा. 2 के पुल हिस्से सहित 158 कि.मी. से 242.71 कि.मी. तक के 84-71 कि.मी. के विकास के बारे में है, इसकी मंजूरी लागत विश्व बैंक की 240 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता सहित 1060.49 करोड़ रु. है। यह परियोजना तीन निर्माण पैकेजों और सिविल कार्यों में विभाजित की गई है और सभी पैकेज प्रगति पर हैं। इस परियोजना के दिसंबर, 2006 तक पूरा होने की संभावना है।

लखनऊ-मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना

7.1.5 विश्व बैंक ने 21 दिसंबर, 2004 में लखनऊ-मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (एल एम एन एच पी) के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से 620 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण स्वीकृत किया है जिसमें सड़क कार्यक्रम प्रबंधन की सांस्थानिक क्षमताओं, परिसंपत्तियों और

सेवाओं को और अधिक वाणिज्यिक आधार पर सुधारने की परिकल्पना की गई है।

7.1.6 इस परियोजना के अंतर्गत 4 लेन विभाजित कैरिजवे में उन्नत करने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में पूर्व-पश्चिम महामार्ग के साथ साथ लखनऊ और मुजफ्फरपुर के बीच अखंड रूप से 513 कि.मी. खंड के साथ स्थित हैं। इस संपूर्ण खंड को पांच इंजीनियरी डिजाइन ठेका पैकेज में विभाजित किया गया है - लखनऊ - अयोध्या (126 कि.मी.), अयोध्या-गोरखपुर (117 कि.मी.), गोरखपुर-गोपालगंज (106 कि.मी.), गोपालगंज-मुजफ्फरपुर (134 कि.मी.) और गोरखपुर बाइपास (40 कि.मी.)। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बैंक वित्तपोषण के माध्यम से पहले चार खंडों (कुल 483 कि.मी.) के सिविल कार्यों को करने का प्रस्ताव रखा है और गोरखपुर बाइपास को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राध्करण अपने वित्तपोषण से उन्नत करेगा। सभी पैकेजों के लिए पर्यावरणीय आकलन और पुनर्वास कार्रवाई योजना सहित साध्यता अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरी डिजाइन बैंक द्वारा स्पष्ट विचारार्थ विषय के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्वः निधियों द्वारा वित्तपोषित डिजाइन परामर्शदाताओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

7.1.7 उपर्युक्त परियोजना के लिए ऋण करार पर हस्ताक्षर जल्दी कर लिए जाएंगे।

सूरत-मनोर टालवे परियोजना

7.1.8 इस परियोजना के अंतर्गत सूरत-मनोर सड़क (263.4 कि.मी. से 439.0 कि.मी.) के मौजूदा दो लेन कैरिजवे खंड की 175.6 कि.मी. लंबाई को चार लेन का विभाजित कैरिजवे बनाने की परिकल्पना की गई है। परियोजना की स्वीकृत लागत 1331.35 करोड़ रु. है। इस परियोजना के प्रारंभ होने से वड़ोदरा से मुंबई तक रा.रा. 8 का निरंतर चार लेन खंड पूरा होगा, जो स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग है। अक्तूबर, 2000 में ए डी बी और एन एच ए आई के बीच 180 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये सिविल कार्य 2000 में प्रारंभ हुए थे और इस परियोजना को जून, 2005 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

तुमकुर-हवेरी परियोजना

7.1.9 पश्चिमी परिवहन महामार्ग परियोजना के अंतर्गत रा.रा. 4 के 259 कि.मी. लंबे तुमकुर-हवेरी खंड को 4 लेन का विभाजित कैरिजवे बनाने के लिए 240 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि के लिए ए डी बी के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना की स्वीकृत लागत 1151.00 करोड़ रु. है। इस परियोजना को पांच निर्माण पैकेज में विभाजित किया गया है। सभी पैकेजों पर कार्य चल रहा है और इस परियोजना को दिसंबर, 2005 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

पूर्व-पश्चिम महामार्ग परियोजना

7.1.10 गुजरात में पूर्व-पश्चिम महामार्ग के पोरबंदर से डीसा खंड के 506.60 कि.मी. में चार लेन बनाने का कार्य 2573.50 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से प्रारंभ किया गया है। इसमें से ए डी बी वर्ा 2002 के लिए ऋण भाग के रूप में 1587 करोड़ रु0 (320 मिलियन अमरीकी डालर) का वित्तपोषण कर रहा है। सिविल कार्य ठेके नवंबर, 2004 में सौंपे गए हैं। इस परियोजना को दिसंबर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

रा.रा.-5 का टाडा–नेल्लोर खंड

पश्चिम बंगाल महामार्ग विकास परियोजना

7.1.11 एशियाई विकास बैंक ऋण सहायता के साथ 1085.7 करोड़ रु. की अनुमानित लागत की यह परियोजना पश्चिम बंगाल में बारासत (31 कि.मी.) से रायगंज (398 कि.मी.) तक रा.रा. 34 महामार्ग के विकास के लिए है। इस परियोजना का वित्तपोषण तीन स्रोतों से किया जाएगा अर्थात् एशियाई विकास बैंक ऋण (698.89 करोड़ रु.), भारत सरकार द्वारा पूरक वित्तपोषण (329 करोड़ रु.) और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पूरक वित्तपोषण (57.81 करोड़ रु.)। इस परियोजना को तीन निर्माण पैकेजों में बांटा गया है - अर्थात् पैकेज ए (31 कि.मी. से 193 कि.मी.), पैकेज बी (193 कि.मी. से 297 कि.मी.) और पैकेज सी (297 कि.मी. से 398 कि.मी.)। पैकेज ए और सी के सिविल कार्यों के लिए पूर्व-योग्यता आवेदन पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं और इनके मूल्यांकन किए जा रहे हैं। पैकेज बी के लिए तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन कर लिया गया है और ए डी बी ने इनको अनुमोदित कर लिया है। इस परियोजना को जून, 2007 में पूरा करने का कार्यक्रम है।

नैनी पुल परियोजना

7.1.12 उत्तर प्रदेश में रा.रा. 27 पर नैनी में यमुना नदी पर एक पुल के निर्माण के लिए 10037 मिलियन जापानी येन के एक ऋण करार (आई डी पी-91) पर जे बी आई सी के साथ जनवरी, 1994 में हस्ताक्षर किए गए थे। जे बी आई सी की सहमति से यह कार्य जुलाई, 2000 में सौंप दिया गया था। इस परियोजना पर अक्तूबर, 2000 में कार्य शुरू हुआ और 30 नवम्बर, 2003 तक 83% निपादन प्रगति रही। यह परियोजना मई, 2004 में पूरी हो गई थी।

टाडा-नेल्लोर और विजयवाड़ा-नंदीगांव खंडों को चार लेन का बनाना

7.1.13 आंध्र प्रदेश में रा.रा. 5 के टाडा-नेल्लौर खंड और रा.रा. 9 के विजयवाड़ा-नंदीगाम खंड को बी ओ टी स्कीम के अंतर्गत मलेशियाई निवेश की सहायता से 760 करोड़ रु. की लागत पर चार लेन बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और मलेशिया के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड (सी आई डी बी) के बीच 19 दिसम्बर, 2000 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें एन एच ए आई 167.5 करोड़ रु. का अनुदान देगा। सी आई डी बी अपने निवेश की वसूली के लिए पथकर वसूलने की हकदार होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड (सी आई डी बी) के बीच 27 मार्च, 2001 को एक रियायत करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। टाड़ा-नेल्लोर और विजयवाड़ा-नंदीगांव खंड यातायात के लिए क्रमशः मई, 2004 और सितंबर, 2004 में खोल दिए गए हैं।

रा.रा.-2 पर वाराणसी में गंगा पर पुल

अध्याय VIII

नई पहल

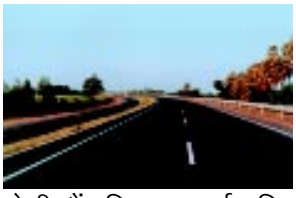

वे राष्ट्रीय राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, का विकास निधियों की उपलब्धता, सड़क की स्थिति, अंतर्राज्यीय पारस्परिकता और यातायात के घनत्व को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। चूंकि उपलब्ध निधियां बड़े विकास कार्यों को करने के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं, विभाग सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने और पेट्रोल और डीजल पर उपकर के माध्यम से निधियां एकत्र करने जैसे अन्य पहलुओं पर विचार कर रहा है। अपेक्षित विभिन्न कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं -

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना - पूर्वोत्तर

8.1.2 विभाग पूर्वोत्तर क्षेत्र के महत्व के प्रति जागरूक है। इस क्षेत्र में सड़कों के विकास की स्थिति पर विचार करते हुए एक त्वरित पूर्वोत्तर सड़क विकास परियोजना विचाराधीन है जो मुख्य रूप से असम में नौगांव और डिब्रुगढ़ के बीच रा.रा. के 315 कि.मी. को चार लेन का बनाने और मेघालय, नगालैंड और सिक्किम में रा.रा. के 288 कि.मी. को 2/4 लेन का बनाने सहित पूर्वोत्तर में सभी राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों में संपर्क स्थापित करेगी। इस प्रस्ताव में पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण समझे गए रा.रा. के अन्य खंडों और राज्यीय राजमार्गों को उन्नत करना शामिल होगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III

8.1.3 मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग की लगभग 10,000 कि.मी. लंबाई को बी ओ टी आधार पर चार लेन के दुहरे कैरिजवे के समनुरूप प्रतिस्थापित और उन्नत करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण-III में प्रस्ताव किया गया है। इस कार्यक्रम में सामान्यतया यातायात की उच्च सघनता वाले राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों, एन एच डी पी चरण I और II नेटवर्क के साथ राज्यों की राजधानियों को जोड़ने और आर्थिक, वाणिज्यिक और पर्यटन महत्व के स्थानों को जोड़ना शामिल है। यह कार्य 10वीं योजना अवधि के शेष भाग और 11वीं योजना के दौरान चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण - IV

8.1.4 पूरे देश में संशोधित/विस्तृत राजमार्ग नेटवर्क के संतुलित और एक समान संवितरण को ध्यान में रखते हुए एन एच डी पी चरण- IV के अंतर्गत बी ओ टी आधार पेव्ड शोल्डरों सहित एकल लेन राजमार्गों के 23,000 कि.मी. को दो लेन में उन्नत करने और मौजूदा दो लेन राजमार्गों के 18,000 कि.मी. को सुदृढ़ करने तथा पेव्ड शोल्डर्स के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है।

8.1.5 तथापि, सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही उपर्युक्त तीनों कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा सकता है।

सीमा सड़क संगठन द्वारा बर्फ हटाना

अध्याय IX

सीमा सड़क संगठन

सीमा सड़क संगठन, सड़क निर्माण निपादन बल है जो आंशिक रूप से स्वयं और आंशिक रूप से सेना की सहायता से यह कार्य करता है। इसने दो परियोजनाओं-पूर्व में टस्कर परियोजना (जिसका नाम बदल कर वरतक परियोजना रख दिया गया था) और पश्चिम में बीकॉन परियोजना के साथ मई, 1960 में शुरूआत की थी। यह आज बढ़कर 13 परियोजनाओं का कार्यपालक बल हो गया है और इसकी सहायता के लिए एक पूर्ण रूप से संगठित भर्ती/प्रशिक्षण केंद्र है, संयंत्र/उपस्कर मरम्मत के लिए दो पूर्ण रूप से सुसज्जित बेस कार्यशालाएं है तथा वस्तु सूची प्रबंधन के लिए दो इंजीनियर भंडार डिपो हैं।

9.1.2 इसने न केवल उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों को शेा देश के साथ जोड़ा है बल्कि बिहार, महाराट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ में सड़क अवसंरचना का विकास भी किया है।

सीमा सड़क संगठन के कार्य

9.1.3 सीमा सड़क संगठन की संकल्पना रक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप सामन्य स्टाफ सड़कों के रूप में वर्गीकृत सीमा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए की गई थी। सामान्य स्टाफ सड़कों का विकास और अनुरक्षण सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा सीमा सड़क विकास बोर्ड को उपलब्ध कराई गई निधियों से किया जाता है।

9.1.4 जी एस सड़कों के अतिरिक्त सीमा सड़क संगठन, केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों द्वारा सौंपे गए एजेंसी कार्य भी करता है । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों और अन्य अर्द्ध-सरकारी संगठनों द्वारा सौंपे गए कार्य शो कार्यों के रूप में निपादित किए जाते हैं । पिछले कुछ वर्षों से सीमा सड़क संगठन हवाई क्षेत्र, स्थायी इस्पात और पूर्व-प्रतिबलित कंक्रीट पुलों, आवास परियोजनाओं के निर्माण के क्षेत्र में भी आ गया है।

9.1.5 राष्ट्रीय संकट और युद्ध शुरू होने की स्थिति में सीमा सड़क संगठन की प्रचालनात्मक भूमिका हो जाती है क्योंकि तब सीमा सड़क संगठन अग्रिम क्षेत्रों में सड़कों के रखरखाव में सेना को सीधे तौर पर सहायता प्रदान करता है और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कार्य निष्पादित करता है।

9.1.6 बी आर ओ परिचालन के दौरान वायु सेना के अग्रिम विमान क्षेत्र के पुनरूद्धार के लिए कार्यबल भी उपलब्ध कराता है। सीमा सड़क संगठन पश्चिम सेक्टर में 2001-02 में 'ऑपरेशन पराक्रम' के दौरान सेना विरचनाओं की सहायता में सक्रिय रूप से शामिल था।

9.1.7 सीमा सड़क संगठन ने भूटान में एक विस्तृत सड़क नेटवर्क का निर्माण किया है।

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा
Sadak Suraksha Jeevan Raksha

संगठन

9.1.8 महानिदेशक, सीमा सड़क (डी जी बी आर) इसके कार्यपालक प्रमुख हैं। मुख्य इंजीनियर (परियोजना) के जरिए सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए यह निपादन-कार्यबल के रूप में सामान्य आरक्षी इंजीनियर बल (जी आर ई एफ) उपलब्ध करवाता है। कार्यपालक निकाय के रूप में मुख्यालय डी जी बी आर, सीमा सड़क विकास बोर्ड, (बी आर डी बी) को तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक अवसंरचना उपलब्ध कराता है। बी आर डी बी एक अंतर-मंत्रालयी निकाय है जिसे मार्च, 1960 में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में उत्तर और पूर्वोत्तर सीमा राज्यों में सड़क संचार के विकास की देखरेख के लिए स्थापित किया गया था।

9.1.9 1985 में रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बी आर डी बी का पुनर्गठन किया गया था। इस समय रक्षा राज्य मंत्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बी आर डी बी का संगठनात्मक चार्ट और इसके कार्यों से संबंधित ब्योरे **परिशिष्ट - IV** में दिए गए हैं।

9.1.10 सीमा सड़क महानिदेशक सभी सामान्य स्टाफ सड़कों के लिए तकनीकी विनिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। यह श्रेणी -9 सड़कों के लिए विनिर्देश तथा गुणता नियंत्रण, पेवमेंट डिजाइन, पुल डिजाइन, संरक्षण दीवार, सामग्री खरीद और बजट नियंत्रण आदि जैसे विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तृत तकनीकी निर्देश जारी करता है। नवीनतम तकनीकी विकास, उपस्करों के आधुनिकीकरण आदि के लिए समय-समय पर विनिर्देशों की समीक्षा की जाती है। एजेंसी कार्यों के लिए संबंधित एजेंसी द्वारा दिए गए तकनीकी विनिर्देशों का पालन किया जाता है किंतु तकनीकी और वित्तीय नियंत्रण सीमा सड़क महानिदेशक के पास होता है। सीमा सड़क महानिदेशालय, के मुख्यालय का संगठन ढांचा और इसके कार्यों से संबंधित ब्योरे **परिशिष्ट - V** में दिए गए हैं।

सीमा सड़क संगठन की उपलब्धियां

9.1.11 30 नवम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार सीमा सड़क संगठन की उपलब्धियां तालिका 9.1 में दर्शाई गई है -

तालिका 9.1

सीमा सड़क संगठन की उपलब्धियां

मद	संचित उपलब्धि
सड़क निर्माण (समतुल्य श्रेणी- 9 कि.मी.)	34,367 कि.मी.
सतह निर्माण (समतुल्य श्रेणी- 9 कि.मी.)	39,577 कि.मी.
स्थायी कार्य	3876 करोड़ रु0
स्थायी पुल	20566 मीटर

9.1.12 2003-2004 में सीमा सड़क संगठन ने समतुल्य श्रेणी-9 के 917 कि.मी. में सड़क निर्माण कटिंग, समतुल्य श्रेणी-9 के 1684 कि.मी. में सतह निर्माण और समतुल्य श्रेणी-9 के 2029 कि.मी. में पुनः सतह निर्माण कार्य पूरा किया। स्थायी पुल निर्माण, जिसमें इस्पात और पूर्व-प्रतिबलित कंक्रीट दोनों शामिल हैं, 1051 मीटर है। वर्ष 2002-03 में 16 स्थायी पुल पूरे किए गए। वतर्मान में संगठन 113 बड़े स्थायी पुलों के निर्माण में लगा हुआ है और ये अधिकतर पुल सीमावर्ती राज्यों में स्थित हैं।

9.1.13 सीमा सड़क संगठन का वर्ष 2004-2005 के लिए वित्तीय कार्यभार (जी एस कार्यों के लिए 950 करोड़ रु. और एजेंसी कार्य/जमा कार्यों के लिए 560 करोड़ रु0) 1510.00 करोड़ रु. है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- 1700 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत से 9 कि.मी. लंबी रोहतांग सुरंग, इसके प्रवेश द्वारों के लिए पहुंच सड़क तथा लेह के लिए 292 कि.मी. लंबे वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कार्य संगठन को सौंपा गया था। इस परियोजना पर 26 मई, 2002 को कार्य शुरू हुआ और इसे सन् 2012 तक पूरा किया जाना है।

- सीमा सड़क संगठन को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर - दक्षिण महामार्ग के एक भाग के तौर पर पठानकोट से श्रीनगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 ए को चार लेन का बनाने का कार्य सौंपा गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 83.88 करोड़ रु0 है और इसे 36 माह में पूरा किया जाना है। पठानकोट से जम्मू (राष्ट्रीय राजमार्ग 1ए) तक 17.20 कि.मी. लंबे चार लेन के एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

- अरूणाचल प्रदेश में रा.रा. 52 पर 637.60 मीटर लंबे नाओधिंग पुल का निर्माण पूरा किया गया है। यह पुल संगठन द्वारा अब तक बनाए गए पुलों में सर्वाधिक लंबा है।

- पंजाब में जनरल स्टाफ आवश्यकता के तौर पर 137 कि.मी. लंबी सड़कों और 25 स्थायी पुलों का निर्माण किया गया है।

- थोइस हवाई पट्टी में एम आई 17 हेलीकॉप्टरों के लिए 68 x 28 मीटर इंसूलेटिड हैंगर, थोइस विमान पट्टी की पुनः सतह बनाने और ओ आर ए के 285 मीटर विस्तार का कार्य सितंबर, 2004 में पूरा हो गया था।

- संगठन को म्यांमार में स्वःनिर्मित 160 कि.मी. लंबी प्रतिष्ठित तामू - कालीम्यो - कलेवा सड़क का अनुरक्षण कार्य 6 वर्ष की अवधि के लिए सौंपा गया है।

- विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर ईरान/अफगानिस्तान सीमाओं पर सड़कों/पुलों की टोह/सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया गया है।

- योजना आयोग के अनुरोध पर नगालैंड, असम, त्रिपुरा और मणिपुर के कुछ पिछड़े जिलों में पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधनों के गैर-व्यपगत पूल से समर्पित बजट सहायता से सड़क निर्माण परियोजनाएं सीमा सड़क संगठन को सौंपी गई हैं।

- पोर्ट ब्लेयर में सीजीडीए के अतिथि गृह का निर्माण पूरा किया गया है।

- अरूणाचल प्रदेश में 15 मीटर गहरे गार्ज में हु ब्रिज निर्माण के लिए पुल इंजीनियरी संस्थान द्वारा संगठन को पुरस्कार दिया गया।

- संगठन ने जुलाई - अगस्त, 2004 में उत्तरांचल के लामबगड़ में 302 और 303 कि.मी. के बीच ऋषिकेष-जोशीमठ मार्ग (रा.रा. 58) पर भारी भूस्खलन के कारण हुए सड़क अवरोध को तुरंत हटाने का कार्य हाथ में लिया और 16 अगस्त 2004 तक सड़क को यातायात के लिए उपलब्ध करा दिया।

- 260.78 कि.मी. पर सोलंगी नदी पर एक 110 फुट मं टू-स्टोरी बेली पुल का निर्माण किया।

बेस केंप तरोग तोकपो 95 पर निर्माण कटाई

वर्ष 2004-2005 के लिए योजनागत उपलब्धियां

9.1.14 सीमा सड़क संगठन ने निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने की योजना बनाई है -

तालिका 9.2

वर्ष 2004-2005 के लिए योजनाबद्ध लक्ष्य

मद	सीमा सड़क संगठन द्वारा नियोजित लक्ष्य		
	जी एस	एजेंसी/जमा	योग
सड़क निर्माण (समतुल्य श्रेणी- 9 कि.मी.)	455.70	455.61	911.31
समतलीकरण (समतुल्य श्रेणी- 9 कि.मी.)	724.12	1169.18	1893.30
पुनर्समतलीकरण (समतुल्य श्रेणी- 9 कि.मी.)	2151.50	83.40	2234.90
स्थायी कार्य (करोड़ रुपये)	211.38	328.19	539.57
बड़े पुल (मीटर)	917.87	1100.90	2018.77

महत्वपूर्ण चालू कार्य

जनरल स्टाफ कार्य

9.1.15 सीमा सड़क संगठन उत्तर पूर्व, उत्तर और पश्चिम में फैले 11 सीमावर्ती राज्यों में सेना मुख्यालय के जनरल स्टाफ के लिए सड़कों का निर्माण/विकास और रखरखाव कर रहा है। सीमा सड़क संगठन 547 जनरल स्टाफ सड़कों का निर्माण/रखरखाव कर रहा है। इन सड़कों की कुल लंबाई 20663 कि.मी. है। इनमें उत्तरी और पश्चिम क्षेत्र में 11,713 कि.मी. लंबी सड़कें और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8950.50 कि.मी. लंबी सड़कें शामिल हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग/बाइपास

9.1.16 सीमा सड़क संगठन को सौंपी गई अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और बाइपासों की सूची **परिशिष्ट - VI** में दी गई है।

एजेंसी कार्य

पूर्वोत्तर परिषद की सड़कें

9.1.17 सीमा सड़क संगठन सन् 1980-81 से ही पूर्वोत्तर के एकीकृत विकास में पूर्वोत्तर परिषद से जुड़ा हुआ है जब कुल 2971 कि.मी. लंबी 30 सड़कें सीमा सड़क संगठन को सौंपी गई थी। बाद में इसकी लंबाई बढ़ाकर 3357 कि.मी. कर दी गई। सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित पूर्वोत्तर परिषद सड़कों पर संचित उपलब्धि इस प्रकार है -

निर्माण	-	3127 कि.मी. (लगभग)
सतह बनाना	-	2738 कि.मी. (लगभग)
स्थायी कार्य	-	168 करोड़ रु. (लगभग)

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा
Sadak Suraksha Jeevan Raksha

सीमा सड़क संगठन के पास पूर्वोत्तर परिषद की सड़कों के लिए इस वित्त वर्ष में 14.64 करोड़ रु. का बजट है जिसमें अनुरक्षण भी शामिल है।

भारत-बंगलादेश सीमा सड़कें

9.1.18 1987 में त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में भारत-बंगलादेश सीमा सड़कों का निर्माण कार्य तथा मेघालय में बाड़ के निर्माण का कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया था। इस कार्यक्रम के चरण-I में सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए मेघालय में 198 कि.मी. बाड़ निर्माण कार्य और इन तीनों राज्यों में 910 कि.मी. लंबी सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

9.1.19 त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में 1,337 कि.मी. लंबी अतिरिक्त सड़क और बाड़ निर्माण का कार्य भारत-बंगलादेश सीमा कार्यक्रम के चरण-II के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया था तथा इसे वर्ष 2006 तक पूरा किया जाना था और इसके ब्योरे तालिका 9.3 में दिए गए हैं।

तालिका 9.3

भारत-बंगलादेश सीमा कार्यक्रम के चरण-II के लिए चुने गए कार्य

राज्य	इकाई	सड़कें	बाड़
त्रिपुरा	कि.मी.	-	107.17
मिजोरम	कि.मी.	246.70	220.00
मेघालय	कि.मी.	48.00	48.00
जोड़	कि.मी.	294.70	375.17

9.1.20 भारत - बंगलादेश सीमा सड़कों संबंधी नियोजित कार्यों और बाढ़ निर्माण कार्यों के लिए वर्ष 2004-05 में कुल बजट 168.93 करोड़ रु. है जिसमें से अभी तक 27.50 करोड़ रु. ही जारी किए गए हैं।

अन्य महत्वपूर्ण एजेंसी कार्य

- सीमा सड़क संगठन दंतक परियोजना के जरिए एक विशाल सड़क अवसंरचना का निर्माण एवं अनुरक्षण कर रहा है तथा विदेश मंत्रालय की ओर से भूटान में अन्य परियोजनाओं का निष्पादन कर रहा है। इसमें ताला हाइडल परियोजना के लिए चालू सड़क निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं। इस समय ह्यूनशोलिंग और गेडु के बीच 45 कि.मी. लंबे खंड का ताला हाइडल परियोजना के वित्तपोषण के अंतर्गत सुधार किया जा रहा है।

- योजना आयोग द्वारा नगालैंड, असम, त्रिपुरा और मणिपुर में सीमा सड़क संगठन को सौंपी गई परियोजनाओं की स्थिति तालिका 9.4 में दी गई है।

तालिका 9.4

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित उत्तर पूर्व में परियोजनाओं की स्थिति

राज्य	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी.)	अनुमोदित लागत (करोड़ रु.)
नगालैंड	मोन जिले में मोकोचुंग-दिकचुचेर सड़क का निर्माण	18.65	8.70
	मोकोचुंग-दिकचुचेर सड़क पर हैमिल्टन पुल का प्रतिस्थापन	0.05	1.60
	मोन जिले और त्येनसांग जिले में सड़कों का निर्माण		
	क - मोन नामटोला	44.20	9.58
	ख - तंग जंक्शन - चेनमोह	27.30	15.54
	ग - मोन जिले में आर एस टी सी		0.25
	घ - खिपरे -पुंगरो	46.60	29.00
	ङ - खिपरे -अमहतोर-लुखामी	36.00	16.27
	मोन जिले में गांवों के चेन समूह में सड़कें		
	क - एबॉय-तोहक	14.00	6.53
	ख - तोहक-चिंकाहो-वांगती	31.00	9.89
	ग - तोहक - चेन मुख्यालय-चेनलेसो-वांगती	49.00	12.20
असम	निम्नलिखित जिलों में बोडोलैंड स्वायत्त परिषद क्षेत्र के लिए 344.16 कि.मी. सड़कों का विकास और 76 अस्थायी पुलों का प्रतिस्थापनः-	344.16	101.16
	क - दारंग जिला (13)		
	ख - बारपेटा जिला (1)		
	ग - नलबाड़ी जिला (6)		
मणिपुर	सेनापाती-खानसोन-लखामी-फाइबंग	90.00	83.74
त्रिपुरा	हलाहले-अम्बासा-डंगाबाड़ी-अमरपुर-बगफा-बलोनिया	176.00	139.02
	जोड़	**876.96**	**433.48**

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा
Sadak Suraksha Jeevan Raksha

जमा कार्य

9.1.21 सीमा सड़क संगठन द्वारा शुरू किए गए जमा कार्यों में सी जी डी ए के लिए पोर्ट ब्लेयर में, असम राइफल्स के लिए कैथलमनबी, मणिपुर में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय संस्थान के लिए ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में भवन परिसर और आवास, अनेक सीमावर्ती राज्यों में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए छः विद्यालय परिसरों, मिजोरम में सीमावर्ती कस्बे जोखाथवर में सीमा शुल्क परिसर, तेजपुर (असम) में तेजपुर विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण शामिल है। अरुणाचल प्रदेश में काइमंग हाइडल परियोजना, हिमाचल प्रदेश में कोल बांध और टिहरी बांध परियोजनाओं के लिए कतिपय महत्वपूर्ण सड़कों का भी निर्माण किया जा रहा है । सीमा सड़क संगठन द्वारा गुवाहाटी में आई आई टी परिसर के लिए आंतरिक सड़क अवसंरचना का निर्माण भी निष्पादन की उन्नत अवस्था में है।

बर्फ हटाना

9.1.22 थल सेना की प्रचालन तथा रसद संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और पूरे वर्ष क्षेत्र के लोगों को सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए सीमा सड़क संगठन द्वारा जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुल 2608 कि.मी. लंबी 90 सड़कों पर बर्फ हटाने का कार्य किया जाता है। सीमा सड़क संगठन द्वारा 11578 फुट ऊंचे जोजिला दर्रे पर श्रीनगर-लेह सड़क, 13044 फुट ऊंचे रोहतांग दर्रे से 17582 फुट ऊंचे तंगलंगला दर्रे तक चार दर्रों पर मनाली-सार्चु-लेह सड़क तथा अरुणाचल प्रदेश में 14000 फुट ऊंचे सेला दर्रे के पार तेजपुर-तेंगा-तावंग सड़क को खोला गया। श्रीनगर-जोजिला-लेह सड़क को 13 मई, 2004 को और मनाली-सार्चु-लेह सड़क को जुलाई के प्रथम सप्ताह के सामान्य समय से पहले 19 मई, 2004 को यातायात के लिए खोल दिया गया। इन दो मार्गों को 31 अक्तूबर, 2004 तक खुला रखा गया।

सम्मान और पुरस्कार

9.1.23 2003-04 में सीमा सड़क संगठन के कार्मिकों को सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 260 पदक तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इन पदकों का ब्योरा इस प्रकार है:-

26 जनवरी, 2004		
• अति विशिष्ट सेवा पदक	-	1
• शौर्य चक्र	-	6
• विशिष्ट सेवा पदक	-	3
• सेना पदक	-	1
• सरकारी प्रशस्ति पत्र	-	70
• थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र	-	11
• डी जी बी आर प्रशस्ति पत्र	-	119
• उप थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र	-	29

15 अगस्त, 2004		
• शौर्य चक्र	-	1
• सेना पदक	-	1
• थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र	-	10
• उप थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र	-	6
• उत्तम जीवन रक्षक पदक	-	2
जोड़	-	**260**

बैठकें और सम्मेलन

मुख्य इंजीनियर सम्मेलन

9.1.24 सीमा सड़क संगठन के सभी मुख्य इंजीनियरों का वार्षिक सम्मेलन डी जी बी आर के मुख्यालय में 6-9 दिसम्बर, 2004 तक आयोजित किया गया।

राष्ट्रीय सेमिनार

9.1.25 भूस्खलन और हिमधाव पर विशेष बल देते हुए 29 अक्तूबर, 2004 को आपदा प्रबंधन विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित की गई। देश भर के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। स्मारिका के रूप में भूस्खलन पर 17 और हिमधाव पर सात तकनीकी दस्तावेज प्रकाशित किए गए।

सतर्कता सप्ताह

9.1.26 1-5 नवम्बर, 2004 को सतर्कता सप्ताह मनाया गया जो डी जी बी आर के कार्मिकों द्वारा ली गई शपथ से प्रारंभ हुआ।

प्रकाशन

9.1.27 2004-2005 के दौरान सीमा सड़क संगठन ने निम्नलिखित प्रकाशन निकाले -

- **रिफ्लेक्शंस** - 7 मई, 2004 को सीमा सड़क संगठन के 44वें स्थापना दिवस पर वार्षिक प्रकाशन 'रिफ्लेक्शंस' के वॉल्यूम XVI का विमोचन किया गया। इस प्रकाशन में सीमा सड़क संगठन के कार्यों का सारांश होता है और इसके जरिए सीमा सड़क संगठन के कार्मिकों को व्यावसायिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर अपनी परियोजनाओं की उपलब्धियों के प्रसार का अवसर भी मिलता है।

- **ऊंची सड़कें** - इस वार्षिक प्रकाशन के वॉल्यूम XV का 9 नवम्बर, 2004 को विमोचन किया गया। इसके अंतर्गत सीमा सड़क संगठन के कार्यपालकों द्वारा कार्य के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर तैयार किए गए प्रासंगिक लेख और तकनीकी पेपर प्रकाशित किए जाते हैं।

- **तकनीकी निर्देश** - सीमा सड़क संगठन द्वारा अनुपालन और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए समय समय पर तकनीकी ब्योरों का प्रचार-प्रसार करने के लिए तकनीकी निर्देश जारी किए जाते हैं। अब तक 23 तकनीकी निर्देश जारी किए गए हैं।

अध्याय X

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

अधिनियम/नियम/वार्षिक कार्यक्रम

सरकार की राजभाषा नीति को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हिंदी अनुभाग का गठन किया गया है। यह अनुभाग, मुख्य इंजीनियर (योजना) के समग्र प्रभार और सहायक निदेशक (राजभाषा) के पर्यवेक्षण में कार्य करता है। अधिनियम/नियमों में दिए गए सभी संगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम और राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश/अनुदेश विभाग के सभी अधिकारियों, अनुभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में परिचालित किए जाते हैं और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

10.1.2 राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा 3 (3) का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस धारा के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं।

10.1.3 राजभाषा नियमावली के नियम 5 का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाते हैं।

हिंदी में मूल पत्राचार

10.1.4 यद्यपि विभाग को 'क' और 'ख' क्षेत्र के साथ हिंदी में मूल पत्राचार के लक्ष्य को अभी प्राप्त करना है, इसने इन क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए निरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायक निदेशक (राजभाषा) हिंदी में मूल पत्राचार बढ़ाने के लिए विभाग के विभिन्न अनुभागों द्वारा की गई प्रगति की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करता है।

हिंदी/हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण में प्रशिक्षण

10.1.5 राजभाषा विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विभाग के अप्रशिक्षित अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी/हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण के लिए नामित करके उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है।

10.1.6 विभाग में मैनुअल/कोड/प्रक्रिया-साहित्य का अनुवाद कार्य पूरा हो चुका है।

10.1.7 विभाग में लगाए गए सभी पर्सनल कंप्यूटर द्विभाषी हैं। तकनीकी टाइपराइटरों को हटा दिया गया है।

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा
Sadak Suraksha Jeevan Raksha

राजभाषा से संबंधित बैठकों/निरीक्षणों का आयोजन

10.1.8 राजभाषा विभाग और संसदीय राजभाषा समिति, विभाग में हिंदी के प्रयोग की प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा करती है। विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित रूप से बैठकें बुलाई जाती हैं।

हिंदी पखवाड़े तथा हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन

10.1.9 इस विभाग में 14 सितंबर, 2004 से 29 सितंबर, 2004 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया तथा इस दौरान हिंदी टिप्पण और मसौदा लेखन प्रतियोगिता, अनुवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। एक तीन दिवसीय कार्यशाला भी आयोजित की गई। विभाग के कर्मचारियों ने सभी प्रतियोगिताओं में बड़े उत्साह से भाग लिया और प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार दिए गए।

प्रोत्साहन योजनाएं

10.1.10 राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार हिंदी का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए विभाग में प्रोत्साहन स्कीमें चालू की गई हैं। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को, जिन्होंने हिंदी टिप्पण और मसौदा लेखन स्कीम में भाग लिया, नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

10.1.11 विभाग की लाइब्रेरी के लिए किए गए कुल आबंटन का 50 प्रतिशत हिंदी की पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया गया।

विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों में राजभाषा के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना

10.1.12 न केवल विभाग में बल्कि इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों में राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग पर निरंतर निगरानी रखी जाती है। इस उद्देश्य से उनकी तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार उपचारात्मक सुझाव दिए जाते हैं। हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसे संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक तथा अन्य प्रकार के कार्यक्रमों से संबंधित रिपोर्टों का अध्ययन किया जाता है। वर्ष के दौरान विभाग के सभी अनुभागों/डेस्कों का निरीक्षण किया गया है।

अध्याय XI

प्रशासन एवं वित्त

विभाग के प्रशासनिक पक्ष में 2 स्थापना अनुभाग, एक सामान्य एवं एक रोकड़ अनुभाग है। प्रशासनिक पक्ष विभाग को स्थापना और अवसंरचना सहायता प्रदान करता है। एक स्थापना अनुभाग, केंद्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' के संवर्ग प्रबंधन तथा इंजीनियरों, ड्राफ्ट्समेन, और अन्य अधीनस्थ स्टाफ के समूह 'ख' और 'ग' के तकनीकी और गैर-तकनीकी संवर्ग के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। दूसरा स्थापना अनुभाग विभाग में तकनीकी संवर्ग से भिन्न कार्मिकों का प्रशासन देखता है।

11.1.2 विभिन्न संवर्गों का प्रबंधन कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) द्वारा जारी निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है। विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और उनके लिए आरक्षित खाली पदों को भरने के प्रयास किए जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अ.जा. एवं अ.ज.जा. के कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट - VII** में दिया गया है।

वित्त

11.1.3 अपर सचिव व वित्त सलाहकार, वित्त पक्ष के प्रमुख हैं। उनके काम में एक निदेशक (वित्त) और एक सहायक वित्त सलाहकार मदद करते हैं।

11.1.4 समन्वित वित्त सलाहकार स्कीम के अनुसार, वित्त सलाहकार प्रशासनिक विभाग को इसके कार्यक्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों पर वित्तीय सलाह देता है और विभाग को योजना, कार्यक्रम निर्धारण, बजट बनाने और निगरानी तथा विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के मूल्यांकन में भी मदद देते हैं। वित्त सलाहकार के काम में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं -

- विस्तृत अनुदान मांगों पर विचार करने के लिए परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी संसदीय समिति को और बजट मामलों पर वित्त मंत्रालय को जानकारी सुलभ कराना।
- जिन परियोजनाओं पर लोक निवेश बोर्ड (पी.आई.बी.) के स्तर पर निर्णय लिया जाना है उनके संबंध में बोर्ड की बैठक से पूर्व होने वाली बैठकों की अध्यक्षता करना।
- व्यय वित्त समिति/लोक निवेश बोर्ड को भेजे जाने वाले सभी प्रस्तावों की जांच करना तथा व्यय वित्त समिति को सचिवालयी सहायता सुलभ कराना जिसकी अध्यक्षता सचिव (व्यय) करते हैं।

- विभाग के विभिन्न प्रशासनिक पक्षों से प्राप्त प्रस्तावों और स्कीमों के लिए वित्तीय सलाह देना और उन्हें सहमति प्रदान करना।

- पंचवर्षीय योजनाएं और वार्षिक योजना तैयार करने में आवश्यक मदद देना।

- इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्तशासी निकायों के आंतरिक संसाधनों और अतिरिक्त बजट संसाधनों का आकलन करना।

- विभिन्न स्वायत्तशासी निकायों के बजट प्रस्तावों की जांच करना तथा उनकी विधीक्षा करना।

- जीरो आधारित बजट विधि के आधार पर योजनाओं/स्कीमों की समीक्षा करना ताकि उनमें व्यय इष्टतम और सीमित हो।

- परियोजनाओं तथा पहले से जारी स्कीमों की प्रगति/निपादन का मूल्यांकन करना।

- वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना, मितव्ययिता के उपाय करना तथा प्रस्तावों की वित्तीय व्यावहारिकता का मूल्यांकन करना।

- लेखा परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्ट/समीक्षा तथा ड्राफ्ट ऑडिट पैरा आदि के निपटान पर नजर रखना और लेखा परीक्षा रिपोर्टों, विनियोजन लेखों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रिपोर्ट पर अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करना।

11.1.5 वित्त संबंधी सलाह देने के अलावा वित्त सलाहकार, विभाग के बजट तथा लेखों का भी प्रभारी है। उसके दायित्वों में यह भी शामिल है कि -

- वह यह सुनिश्चित करे कि इस विभाग द्वारा बजट तैयार करने का काम समय से चले तथा वित्त मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप ही बजट तैयार हो।

- बजट प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय भेजने से पहले उनकी जांच करना।

- यह सुनिश्चित करना कि विभागीय लेखे सामान्य वित्तीय नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप रखे जा रहे हैं।

- स्वीकृत अनुदान के मुकाबले में खर्चों की समीक्षा करते रहना और उन पर कड़ी नजर रखना।

11.1.6 वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, अपर सचिव व वित्त सलाहकार के प्रभार में एक परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ (पी.एम.सी.) की स्थापना की गई है। इसका प्रमुख कार्य विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं समेत सभी परियोजनाओं पर निगरानी रखना है। यह प्रकोष्ठ उस स्थायी समिति के सचिवालय के तौर पर भी काम करता है जो लागत और समय में वृद्धि के कारणों पर विचार करने के लिए गठित की गई है और इस पर पी.आई.बी./मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा विचार किया जाता है और उन्हें अनुमोदित किया जाता है। स्थायी समिति में योजना आयोग, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा के प्रतिनिधि होते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली

11.1.7 विभाग ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और प्रबंधन में लगी विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली पहले ही शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का मुख्य उद्देश्य विभिन्न व्यय और लेखा प्रक्रिया को सुचारू बनाना है। वेब आधारित प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी प्रभाग तथा सही समय पर जानकारी प्राप्त करने में अन्य व्यक्तियों की भी मदद करेगी जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों का बेहतर वित्तीय प्रबंधन होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का आशय है :-

- विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चालू कार्यों की अद्यतन निर्देशिका की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- बजट नियंत्रण अर्थात् समग्र आधार और कार्य दर कार्य आधार पर बजट प्रावधानों के मुकाबले में किए गए व्यय की सूचना यथा समय प्रदान करना।
- लोक निर्माण विभाग प्रभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय भुगतान और लेखा कार्यालयों, मुख्य लेखा नियंत्रक और इस विभाग के सड़क महानिदेशक के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना।
- वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली की शुरूआत जिससे रिपोर्ट भेजने में विलंब न हो।
- बिलों और भुगतान के बारे में यथासमय सूचना प्रदान करना।
- संशोधित आबंटन के मामले पर शीघ्र कार्रवाई तथा परिणामस्वरूप वित्त वर्ष में अधिकतम कार्यों का निष्पादन आसान बनाना।
- पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।
- इस व्यवस्था को लोक निर्माण विभागों के स्तर तक बढ़ाना जो परियोजनाएं निष्पादित करते हैं।

अध्याय XII

सतर्कता

विभाग का सर्तकता अनुभाग विभाग के सतर्कता कार्यों के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। संयुक्त सचिव स्तर के एक मुख्य सतर्कता अधिकारी इसके प्रमुख हैं जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनुमोदन से की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के अधीन एक स्वायत्त निकाय - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है जिसमें एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी है।

12.1.2 वर्ष 2004-05 के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों पर कार्रवाई की गई। इन शिकायतों को आवश्यकतानुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया गया। निवारक सतर्कता की भूमिका पर विशेष बल दिया गया जिसमें प्रक्रिया का सरलीकरण, निर्णय लेने की प्रक्रिया का विनियंत्रण और अविनियमन, लोक शिकायतों पर कार्रवाई, जनता के साथ कामकाज में पारदर्शिता, जनसूचना केंद्र खोलना आदि शामिल है।

12.1.3 विभाग में 1-6 नवम्बर, 2004 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया और सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। 'क्या भ्रष्टाचार से निपटा जा सकता है' विषय पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विजेताओं को उचित पुरस्कार दिए गए।

अध्याय XIII

संगठन एवं पद्धति और लोक शिकायत निवारण

विभाग द्वारा दी गई सेवाओं और अनुमोदित कार्यक्रमों तथा स्कीमों के विषय में नागरिकों को प्रभावी और जिम्मेदार प्रशासन सुलभ कराने तथा उन्हें जानकारी प्रदान करने के लिए इस विभाग में एक सूचना और सुविधा काउंटर (आई.एफ.सी.) की स्थापना की गई है। इस काउंटर पर आम लोगों के लिए उपयोगी विभिन्न विषयों संबंधी महत्वपूर्ण सामग्री रखी गई है। जानकारी देने के अलावा इस काउंटर पर लोक शिकायत याचिकाएं भी स्वीकार की जाती हैं जिन्हें बाद में संबंधित प्राधिकारियों तक पहुंचा दिया जाता है।

13.1.2 कार्यालय पद्धति मैनुअल के अनुसार, विभाग में सभी अनुभागों/डेस्कों का वार्षिक संगठन एवं पद्धति निरीक्षण किया गया है तथा निरीक्षण अधिकारी द्वारा सुझाए गए सुधारात्मक उपाय कार्यान्वित किए गए। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के आदेशों के अनुसार "सचिव के लिए कार्यात्मक सारांश" तिमाही आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है और अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

13.1.3 संयुक्त सचिव (प्रशासन), विभाग में गठित शिकायत निवारण तंत्र के प्रमुख हैं। वह लोक शिकायत निदेशक हैं। ऐसी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है और शीघ्र निपटान के लिए शिकायत मामले संबंधित प्रशासनिक इकाइयों तक पहुंचा दी जाती है। शिकायत निदेशक द्वारा शिकायतों की आवधिक/मासिक समीक्षा की जाती है तथा उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। विभाग के कार्य की जानकारी देने, शिकायतों के निपटान आदि के लिए संपर्क अधिकारी के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए सिटीजन चार्टर प्रकाशित किया गया है और इसे विभाग की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है। इस वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए पी जी आर ए एम एस साफ्टवेयर को प्रचालन भी प्रारंभ कर दिया गया है।

अभिलेख प्रकोष्ठ

13.1.4 रिकार्डों के प्रबंधन की ओर उचित ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2004-2005 के दौरान पुराने रिकार्ड दर्ज करने, उसकी समीक्षा तथा उसे हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। नवंबर, 2004 तक 130 फाइलों को हटाया गया। 25 वर्ष से अधिक पुरानी फाइलों को स्थायी रूप से रखे जाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को हस्तांतरित कर दी गईं।

अध्याय XIV

विभागीय लेखा संगठन और ढांचा

विभाग का लेखा प्रभाग, मुख्य लेखा नियंत्रक के समग्र प्रभार में है जो लेखों, भुगतान, बजट, आंतरिक लेखापरीक्षा और नकदी प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। मुख्य लेखा नियंत्रक के अलावा इस संगठन में तीन उप लेखा नियंत्रक, एक अवर सचिव (बजट), एक लेखा अधिकारी (बजट), 12 भुगतान और लेखा अधिकारी/दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, जयपुर, बंगलौर, लखनऊ और गोवाहाटी में स्थित क्षेत्रीय भुगतान और लेखा अधिकारी तथा अन्य स्टाफ है। सचिवालय की रोकड़ शाखा भी मुख्य लेखा नियंत्रक के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करती है।

14.1.2 विभाग के वार्षिक लेखे जैसे केंद्रीय लेन-देन विवरण, विनियोजन लेखे (अनुदान सं0 76-2003-04) और वित्त लेखे संकलित किए जाते हैं और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में महालेखा नियंत्रक को प्रस्तुत किए जाते हैं। कंप्यूटर से प्राप्त व्यय के मासिक आंकड़े भी विभाग के सभी भुगतान और लेखा कार्यालयों/ क्षेत्रीय भुगतान और लेखा कार्यालयों को उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि कार्यक्रमों और स्कीमों पर निगरानी आसानी से रखी जा सके। लेखों के मासिक संकलन का पहले ही कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है जबकि भुगतान जैसे कार्य की अन्य मदों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है।

14.1.3 मुख्य लेखा नियंत्रक के अधीन बजट प्रभाग, विस्तृत अनुदान मांगों, कार्य निष्पादन बजट तथा निरीक्षण रिपोर्टें तैयार करने और साथ ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक/लोक लेखा समिति पैराओं के लिए उत्तर का समन्वय करने के लिए भी जिम्मेदार है।

14.1.4 विभाग का बजट, संसद में प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2002-03 के लिए इस अनुदान सं0 76 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संबंध में बचत और आधिक्य व्यय **परिशिष्ट- VIII** में दर्शाए गए हैं। वर्ष 2003-2004 के लिए निधियों के स्रोत और उनका उपयोग (अनुप्रयोग) क्रमशः **परिशिष्ट- IX** और **परिशिष्ट- X** में दिया गया है।

14.1.5 भुगतान और लेखा कार्यालयों के प्रभावी नेटवर्क के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावे जैसे पेंशन, परिवार पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, सी जी ई जी आई एस और छुट्टी नकदीकरण आदि शीघ्रता से निपटाए जा रहे हैं।

14.1.6 इस वर्ष के दौरान इस विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों और संगठनों जो अनुदान सहायता प्राप्त करते हैं, द्वारा किए गए व्यय की आंतरिक लेखा परीक्षा की गई। मुख्यालय और क्षेत्रीय भुगतान और लेखा अधिकारी (रा.रा.) ने राज्य लोक निर्माण विभागों, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की ओर से राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यय करते हैं, की आंतरिक जांच भी की। इसके अतिरिक्त, विशेष लेखा परीक्षा भी की गई जिसके महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए।

कंप्यूटरीकरण

14.1.7 विभाग तथा मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय, विभाग के लेखा कार्यों में पूर्ण सुधार और पारदर्शिता के लिए कंप्यूटर प्रचालन के लिए अनेक उपाय कर रहे हैं। इनमें से एक उपाय विभिन्न व्यय और लेखा प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए एन एच एफ एम आई एस की स्थापना करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के संबंध में वित्तीय उपलब्धता, निहितार्थ और उनकी अनुमानित प्रगति के बारे में ऑन लाइन सूचना मिलने से मॉनिटरिंग और कार्यों के बीच में ही सुधार के लिए एक अद्वितीय जरिया प्राप्त होगा।

14.1.8 1 अप्रैल, 2003 से कुछ चुनिंदा क्षेत्रीय भुगतान और लेखा कार्यालयों में शुरू की गई एन एच एफ एम आई एस प्रणाली को बाद में 1 सितम्बर, 2003 से सभी क्षेत्रीय भुगतान और लेखा कार्यालयों में शुरू किया गया। इस प्रणाली की शुरूआत से सड़क पक्ष, परिवहन पक्ष, वित्त पक्ष, मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय और क्षेत्रीय भुगतान और लेखा कार्यालयों में क्रिया कलापों को नई दिल्ली स्थित एम आई सी एफ को को-लोकेशनल सर्वर के साथ अंतराबंध कर दिया गया है।

14.1.9 मुख्य लेखा नियंत्रक की पहल पर लेखा व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में किया गया एक और महत्वपूर्ण प्रयास एक कोम्पैक्ट पैकेज का कार्यान्वयन है जिसमें भुगतान और लेखा कार्यालय के अधिकांश कार्य शामिल हैं। कोम्पैक्ट पैकेज का समग्र उद्देश्य भुगतान और लेखा कार्यालय के विभिन्न कार्यों में सटीकता और तेजी लाना है। आंकड़ों को हाथ से लिखने की नीरसता को दूर करने के अलावा यह पैकेज यह सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर सपोर्ट करता है कि एक बार लेखा आंकड़ों की प्रविष्टि किए जाने पर मासिक लेखों के संकलन अथवा प्रबंधन सूचना रिपोर्ट प्राप्त करने जैसे अन्य प्रयोजनों के लिए इन्हें पुनः दर्ज किए बगैर विभिन्न स्थानों पर इनका प्रयोग किया जा सकता है।

14.1.10 कोम्पैक्ट पैकेज से विद्यमान लेखा पद्धति में न केवल सुधार होगा अपितु इससे अधिक प्रबंधन सूचना प्राप्त होगी तथा लेखा सूचना के बेहतर विष्लेषण में भी इससे मदद मिलेगी।

14.1.11 ऐसे अनेक कार्य हैं जो नीरस होते हैं, विशेषतः सामंजस्य से संबंधित कार्य। कोम्पैक्ट पैकेज से ऐसे कार्य में मदद मिलेगी जो समग्र सटीकता और राजस्व विभाग के नियंत्रण में सुधार से भिन्न है।

14.1.12 यह पैकेज कंप्यूटरीकरण वैधता के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा की सुविधा भी प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप लेखों की गुणता में सुधार होता है। कार्यालय परिवेश में सुधार, कंप्यूटरीकरण का सदैव एक उपोत्पाद है।

14.1.13 इसके अतिरिक्त, कंप्यूटरीकरण के विस्तार के लिए मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय अनेक अन्य उपाय कर रहा है। इनके अंतर्गत अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए नियमित रूप से सरकारी लेखा और वित्त संस्थान (आई एन जी ए एफ) भेजा जाता है।

सड़क सुरक्षा
जीवन रक्षा
Sadak Suraksha
Jeevan Raksha

अध्याय XV

विविध

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों का सारांश

इस विभाग के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों में उल्लिखित लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सारांश **परिशिष्ट XI** में दिया गया है।

महिलाओं की समस्याओं संबंधी सरकारी नीतियां

15.1.2 यह विभाग राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण तथा केंद्रीय मोटरयान अधिनियम और केंद्रीय मोटरयान नियमावली के संचालन के लिए जिम्मेदार है। इस तरह, लिंग आधारित कोई विशेष स्कीम और नीतियां नहीं हैं। विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा के संबंध में किए गए प्रयास का लिंग अथवा आयु से कोई संबंध नहीं है।

परिशिष्ट - I

[पैरा 2.1.14]

निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण (बी ओ टी) परियोजनाओं की सूची

मंत्रालय की पथकर आधारित परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	रा.रा. संख्या	राज्य	लंबाई कि.मी.	लागत करोड़ रु.	वर्तमान स्थिति
1	थाने-भिवंडी बाइपास	3	महाराष्ट्र	24	103.00	पूरा हो गया
2	नरधाना आर ओ बी	3	महाराष्ट्र	13	34.21	पूरा हो गया
3	हुबली-धारवाड़ बाइपास	4	कर्नाटक	30.35	68.00	पूरा हो गया
4	रा रा 4 पर खंभात की घाट में अतिरिक्त 2 लेन और सुरंग का निर्माण	4	महाराष्ट्र	8	37.80	पूरा हो गया
5	6 पुलों का निर्माण	5	आंध्र प्रदेश	सं. 6	50.00	पूरा हो गया
6	कोसास्थलैयार पुल	5	तमिलनाडु	-	30.00	पूरा हो गया
7	नसीराबाद आर ओ बी	6	महाराष्ट्र	30 मीटर	10.45	पूरा हो गया
8	वेनगंगा पुल	6	महाराष्ट्र	530 मीटर	32.60	पूरा हो गया
9	उदयपुर बाइपास	8	राजस्थान	11	24.00	पूरा हो गया
10	माही पुल	8	गुजरात	-	42.00	पूरा हो गया
11	वात्रक नदी पर पुल	8	गुजरात	-	48.20	पूरा हो गया
12	चत्थन सड़क उपरि पुल	8	गुजरात	4 लेन आर ओ बी	10.00	पूरा हो गया, जी क्यू एन एच डी पी का हिस्सा, रियायत अवधि पूर्ण
13	नर्मदा पुल	8	गुजरात	6	113.00	पूरा हो गया
14	पाताल गंगा पुल व आर ओ बी	17	महाराष्ट्र	सं. 1	33.30	पूरा हो गया
15	डेराबासी में आर ओ बी	22	पंजाब	-	31.48	पूरा हो गया
16	कोयम्बतूर बाइपास	47	तमिलनाडु	33	90.00	पूरा हो गया
17	कटनी बाइपास	7	मध्य प्रदेश	17.5	42.00	प्रगति पर
18	रा.रा. 6 के रायपुर - दुर्ग खंड को 4 लेन का बनाना	6	छत्तीसगढ़	26.6	48.00	प्रगति पर
19	रा.रा. 9 के 14/0 से 40/0 कि.मी. में पुणे- शोलापुर सड़क को चार लेन का बनाना	9	महाराष्ट्र	26	88.00	प्रगति पर
20	कुराली में 26.428 कि.मी. में आर ओ बी	21	पंजाब	2 लेन आर ओ बी	20.52	प्रगति पर
				उप जोड़	**956.56**	

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

पथकर आधारित परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	रा.रा. संख्या	राज्य	लंबाई कि.मी.	लागत करोड़ रु.	वर्तमान स्थिति
1	दुर्ग बाइपास	6	मध्य प्रदेश	18.4	70	पूरा हो गया
2	किशनगढ़ बाइपास पर आर ओ बी	8	राजस्थान	1	18	पूरा हो गया
3	तुमकुर-नीलमंगला खंड (रा.रा.4 का 29.5 से 62.0 कि.मी.) को 4 लेन का बनाना	4	कर्नाटक	32.5	155	पूरा हो गया
4	टाडा (52.8 कि.मी.) - नेल्लोर (163.6 कि.मी.) को 4 लेन का बनाना	5	आंध्र प्रदेश	110.52	621.35	पूरा हो गया
5	नंदीगांव-विजयवाड़ा	9	आंध्र प्रदेश	35	138.65	पूरा हो गया
6	सतारा-कागल खंड को 4 लेन का बनाना	4	महाराष्ट्र	133	600.00	प्रगति पर
7	दिल्ली-गुड़गांव खंड	8	हरियाणा	27.7	555.00	प्रगति पर
8	विवेकानंद पुल व पहुंच मार्ग	2	पश्चिम बंगाल	6	641.00	प्रगति पर
9	महापुरा (जयपुर के पास)-किशनगढ़ (273.5-363.885 कि.मी.)	8	राजस्थान	90.38	644.00	प्रगति पर
10	पुणे-नासिक (12.90 से 42.00 कि.मी.)	50	महाराष्ट्र	30	127.60	प्रगति पर

वार्षिकी आधारित परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	रा.रा. संख्या	राज्य	लंबाई कि.मी.	लागत करोड़ रु.	वर्तमान स्थिति
1	पानागढ़-पालसित खंड को 4 लेन का बनाना	2	पश्चिम बंगाल	64.457	350	प्रगति पर
2	पालसित-दनकुनी (दुर्गापुर एक्सप्रेस मार्ग) खंड को 4 लेन का बनाना	2	पश्चिम बंगाल	65	432.40	प्रगति पर
3	महाराष्ट्र सीमा-बेलगांव खंड को 4 लेन का बनाना	4	कर्नाटक	77	332	प्रगति पर
4	अनाकपल्ली-तुनी खंड को 4 लेन का बनाना	5	आंध्र प्रदेश	58.947	283.2	प्रगति पर
5	तुनी-धर्मावरम खंड को 4 लेन का बनाना	5	आंध्र प्रदेश	47	231.90	प्रगति पर
6	धर्मावरम-राजमुंदरी खंड को 4 लेन का बनाना	5	आंध्र प्रदेश	53	206	प्रगति पर
7	नेल्लोर बाइपास	5	आंध्र प्रदेश	17.2	143.20	प्रगति पर
8	ताम्बरम-टिंडीवनम खंड को 4 लेन का बनाना	45	तमिलनाडु	93	375	प्रगति पर

एस पी वी परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	रा.रा. संख्या	राज्य	लंबाई कि.मी.	लागत करोड़ रु.	वर्तमान स्थिति
1	अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस मार्ग चरण-I 0.00 से 43.40 कि.मी.	8	गुजरात	43.40	165	पूरा हो गया
2	मुरादाबाद बाइपास (2 लेन की नई सुविधा)	24	उत्तर प्रदेश	18.00	103	पूरा हो गया
3	अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस मार्ग चरण-II 43.3 (नादियाड़ - डकोर राज्यीय राज.) - 93.302 कि.मी.	एनई-I	गुजरात	50	365	पूरा हो गया
4	रा.रा.17 पर वर्ना जंक्शन से मुरगांव के बीच मुरगांव पत्तन के लिए संपर्क	17बी	गोवा	18	80	पूरा हो गया
5	जयपुर बाइपास चरण -II रा.रा.8 का 221 कि.मी.- रा.रा.11 का 246 कि.मी.	8 और 11	राजस्थान	34.7	210	प्रगति पर
6	जवाहर लाल नेहरू पत्तन (चरण-I) महापत्तन सड़क संपर्क चरण - I	4बी और 4	महाराष्ट्र	30	177.12	प्रगति पर
7	हल्दिया पत्तन महापत्तन सड़क संपर्क चरण - I	41	पश्चिम बंगाल	53	273	प्रगति पर
8	विशाखपत्तनम पत्तन महापत्तन सड़क संपर्क चरण - I	राज्यीय राजमार्ग	आंध्र प्रदेश	12	93.79	प्रगति पर
9	तूतीकोरिन पत्तन महापत्तन सड़क संपर्क चरण - II	7ए	तमिलनाडु	47.2	138	प्रगति पर
10	पारादीप पत्तन महापत्तन सड़क संपर्क चरण - II	5ए	उडीसा	77	428	प्रगति पर
11	कोचीन पत्तन महापत्तन सड़क संपर्क चरण - II	47	केरल	10	106	प्रगति पर

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा
Sadak Suraksha Jeevan Raksha

परिशिष्ट - II

[पैरा 5.1.2]

देश में राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्ग

क्र. सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	कुल लंबाई (कि.मी.)
1	आंध्र प्रदेश	4,5,7,9,16,18,43,63,202,205,214, 214ए, 219, 221 और 222	4472
2	अरूणाचल प्रदेश	52,52ए और 153	392
3	असम	31,31बी,31सी,36,37,37ए,38,39,44,51,52,52ए,52बी,53, 54,61,62,151,152, 153 और 154	2836
4	बिहार	2,19,28,28ए, 28बी, 30,30ए,31,57, 57ए,77,80,81,82, 83,84,85,98,99, 101,102,103, 104, 105,106,107 और 110	3537
5	चंडीगढ़	21	24
6	छत्तीसगढ़	6,12ए,16,43,78, 111, 200,202,216, 217 और 221	2184
7	दिल्ली	1,2,8,10 और 24	72
8	गोवा	4ए,17,17ए और 17बी	269
9	गुजरात	6,8,8ए,8बी,8सी,8डी,8ई,14,15,59, 113 और एन ई-1	2871
10	हरियाणा	1,2,8,10,21ए,22,64,65,71,71ए, 71बी,72,73 और 73ए	1468
11	हिमाचल प्रदेश	1ए,20,21,21ए,22,70,72, 73ए और 88	1208
12	जम्मू और कश्मीर	1ए, 1बी और 1सी	823
13	झारखंड	2,6,23,31,32,33,75,78,80,98,99 और 100	1805
14	कर्नाटक	4,4ए,7,9,13,17,48,63, 67,206,207,209,212 और 218	3843
15	केरल	17,47,47ए,49,208,212,213 और 220	1440
16	मध्य प्रदेश	3,7,12,12ए,25,26, 26ए, 27,59,59ए,69,75,76,78,79,86, 86ए और 92	5200
17	महाराष्ट्र	3,4,4बी,4सी,6,7,8,9,13,16,17,50,69,204, 211 और 222	4176
18	मणिपुर	39,53,150 और 155	959
19	मेघालय	40,44,51 और 62	810
20	मिजोरम	44ए,54,54ए,54बी, 150 और 154	927
21	नगालैंड	36,39,61,150 और 155	494
22	उड़ीसा	5,5ए,6,23,42,43,60, 75,200,201,203,203ए,215,217 और 224	3704

क्र. सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	कुल लंबाई (कि.मी.)
23	पांडिचेरी	45ए और 66	53
24	पंजाब	1,1ए,10,15,20,21,22,64,70,71,72 और 95	1557
25	राजस्थान	3,8,11,11ए,11बी,12,14,15,65,71बी,76,79,79ए,89, 90,112,113,114 और 116	5585
26	सिक्किम	31ए	62
27	तमिलनाडु	4,5,7,7ए,45,45ए,45बी,45सी,46,47,47बी,49,66,67,68,205,207, 208 209,210, 219 और 220	4183
28	त्रिपुरा	44 और 44ए	400
29	उत्तरांचल	58,72,72ए, 73,74,87,94,108,109,119,121,123 और 125	1991
30	उत्तर प्रदेश	2,2ए,3,7,11,12ए,19,24,24ए,25,25ए,26,27,28,28बी,28सी, 29,56,56ए, 56बी, 58,72ए, 73,74,75,76,86,87,91,91ए, 92,93,96, 97 और 119	5599
31	पश्चिम बंगाल	2,6,31,31ए,31सी,32,34,35,41,55,60,60ए,80,81 और 117	2325
32	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	223	300
		जोड़	**65569**

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा
Sadak Suraksha Jeevan Raksha

परिशिष्ट - III

[पैरा 5.1.4]

वर्ष 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत धनराशि का राज्यवार आबंटन दर्शाने वाला विवरण।

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विकास आबंटन			अनुरक्षण आबंटन
		एन एच (ओ)	पी.बी.एफ.एफ.	जोड़	
1	आंध्र प्रदेश	90.00	6.74	96.74	33.64
2	अरुणाचल प्रदेश	6.00	0.00	6.00	0.60
3	असम	69.20	1.81	71.01	28.99
4	बिहार	66.07	13.44	79.51	49.15
5	चंडीगढ़	2.00	1.26	3.26	0.57
6	छत्तीसगढ़	50.00	0.00	50.00	26.06
7	दिल्ली	6.00	0.00	6.00	0.73
8	गोवा	5.00	0.00	5.00	2.67
9	गुजरात	74.00	10.35	84.35	34.69
10	हरियाणा	53.00	0.00	53.00	11.26
11	हिमाचल प्रदेश	45.00	0.00	45.00	17.15
12	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.43
13	झारखंड	35.00	0.00	35.00	19.78
14	कर्नाटक	76.00	4.60	80.60	35.83
15	केरल	71.00	4.69	75.69	18.16
16	मध्य प्रदेश	80.00	11.90	91.90	62.37
17	महाराष्ट्र	114.00	8.98	122.98	46.53
18	मणिपुर	14.00	0.07	14.07	8.33
19	मेघालय	23.00	0.43	23.43	12.46
20	मिजोरम	22.00	0.00	22.00	5.43
21	नगालैंड	14.00	0.00	14.00	3.77
22	उड़ीसा	77.00	1.80	78.80	40.13
23	पांडिचेरी	3.00	0.00	3.00	0.80
24	पंजाब	45.00	1.79	46.79	19.39

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विकास आबंटन			अनुरक्षण आबंटन
		एन एच (ओ)	पी.बी.एफ.एफ.	जोड़	
25	राजस्थान	88.00	4.72	92.72	50.98
26	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
27	तमिलनाडु	90.00	1.55	91.55	34.01
28	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
29	उत्तरांचल	24.00	1.44	25.44	13.34
30	उत्तर प्रदेश	138.00	14.43	152.43	51.74
31	पश्चिम बंगाल	80.00	0.00	80.00	22.31
32	मंत्रालय	3.00	0.00	3.00	0.00
33	एन एच ए आई	5.00	0.00	5.00	70.00
34	आरक्षित	13.73	0.00	13.73	7.26
	उप जोड़	1482.00	90.00	1572..00	728.56
35	बी आर ओ	210.00	0.00	210.00	17.00
	कुल जोड़	**1692**.00	**90**.00	**1782**.00	**745.56**

एन एच (ओ) - **योजना निधि से**
पी.बी.एफ.एफ. - स्थायी पुल शुल्क निधि

परिशिष्ट - IV

[पैरा 9.1.9]

सीमा सड़क विकास बोर्ड

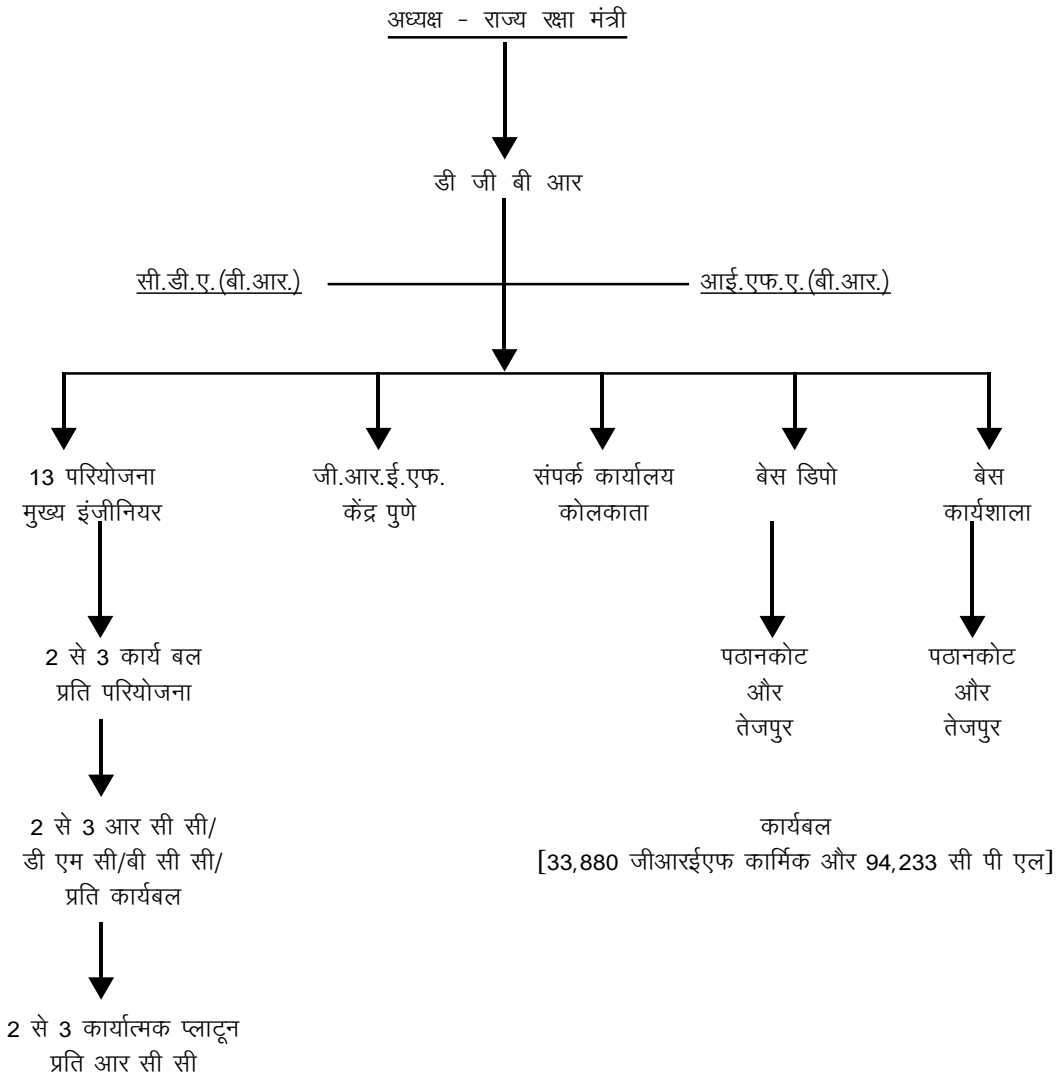

आर सी सी	-	सड़क निर्माण कंपनी
डी एम सी	-	नाली अनुरक्षण कंपनी
बी सी सी	-	पुल निर्माण कंपनी
सी डी ए	-	रक्षा लेखा नियंत्रक
आई एफ ए	-	एकीकृत वित्तीय सलाहकार
सी पी एल	-	दैनिक वेतनभोगी श्रमिक

परियोजना की अध्यक्षता कोर ऑफ इंजीनियर्स के ब्रिगेडियर अथवा जी आर ई एफ के मुख्य इंजीनियर रैंक के अधिकारी द्वारा, कार्यबल की कर्नल अथवा अधीक्षण अभियंता (सिविल) द्वारा, सड़क निर्माण कंपनी की मेजर अथवा कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) द्वारा और कार्यात्मक प्लाटून की कैप्टन अथवा सहायक कार्यपालक इंजीनियर द्वारा की जाती है।

परिशिष्ट - V

[पैरा 9.1.10]

मुख्यालय डी जी बी आर

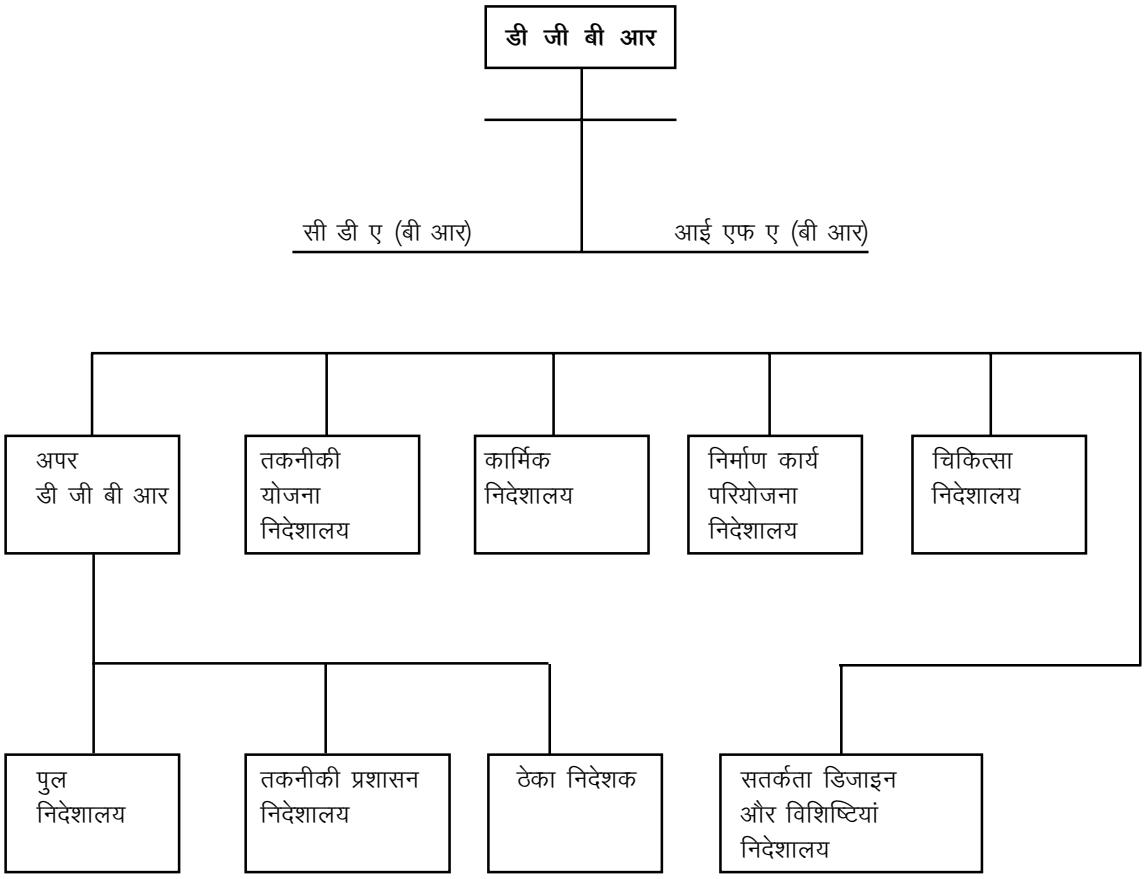

नोट - प्रत्येक निदेशालय का प्रमुख ब्रिगेडियर/मुख्य इंजीनियर स्तर का जी आर ई एफ अधिकारी होता है सिवाय ठेका निदेशक के जिसका अध्यक्ष सेना इंजीनियरिंग सेवा (एम ई एस) संवर्ग का वरिष्ठ कार्य सर्वेक्षक होता है ।

1995 में बी आर ओ में एकीकृत वित्तीय सलाहकार प्रणाली की शुरूआत से निर्णय लेने और निष्पादन के प्रत्येक स्तर पर अर्थात् मुख्यालय डी जी बी आर, मुख्यालय मुख्य इंजीनियर परियोजना और मुख्यालय कार्यबल के स्तर पर एक सुसस्थापित आई एफ ए स्थापना कार्य करती है । आई एफ ए (बी आर) को कार्य अनुमान संबंधी कार्रवाई करने और उसे स्वीकृत करने के लिए आई एस ओ 9002 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था । मुख्यालय डी जी बी आर के तकनीकी प्रशासनिक निदेशालय को भी संयंत्र, वाहन और उपस्कर खरीदने की प्रक्रिया के लिए आई एस ओ 9002 प्रदान किया गया था ।

परिशिष्ट - VI

[पैरा 9.1.16]

राट्रीय राजमार्गों के विकास की ओर

रा.रा.	खंड	लंबाई (कि.मी.)
जी एस द्वारा विकसित और अनुरक्षित		
रा.रा.1ए	पठानकोट-जम्मू-श्रीनगर-उरी	505
रा.रा.22	वांगटू-पुह	89
रा.रा. 31ए	सिवोक-गंगटोक	93
	जोड़	**687 कि.मी.**
सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा विकसित और जी एस द्वारा अनुरक्षित		
रा.रा. 1बी	बटोट-किश्तवाड़-सिंथन पास	192
रा.रा. 1सी	डोमेल-कटरा	15
रा.रा. 31	सिवोक-रेलवे क्रासिंग	3
रा.रा. 58	ऋषिकेश- जोशीमठ-माणा	300
रा.रा. 44	जोवई-रताचेरा-चुरईबाड़ी-अगरतला (1996/2000)	415
रा.रा. 53	बदरपुर-सिल्चर-जिरीबम-इम्फाल (1996)	288
रा.रा. 54	सिल्चर-बेरंगटे-आइजोल-तुइपंग (1996)	561
रा.रा. 54ए	थेरियाट-लुंगलेई	9
रा.रा. 54बी	वीनस सैदल-सेहा	27
रा.रा. 39	दीमापुर-कोहिमा-मऊ-मारम (1996)	129
रा.रा. 52	जोनई-दीरक	334
रा.रा. 52ए	बंदरदेवा-ईटानगर-गोहपुर (1996/2000)	61
रा.रा. 94	ऋषिकेश-धरासू	122
रा.रा. 150	कोहिमा-लैनी-जेसामी (2000)	130
	जोड़	**2586 कि.मी.**

सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा विकसित और अनुरक्षित			
16	जगदलपुर	महाराष्ट्र/आंध्र प्रदेश/छत्तीसगढ़ सीमा	291
62	दुधनई	नंगवालबीब्रा (2000)	82
44 विस्तार	अगरतला	सबरूम	131
150 (भाग)	जेसामी	येंगंगपोकपी	158
44ए	लुईपेंग	मानु (2000)	22
रा.रा. 52	दीरक	रूपई	31
रा.रा. 52	बहीथा चारली	जोनई	509
रा.रा. 202	भोपालपटनम	तरालूगुडा	36
रा.रा. 108	धरासू	भैरोंघाटी	124
रा.रा. 109	रूद्रप्रयाग	गौरीकुंड	76
रा.रा. 151	करीमगंज	सूत्रकंडी (2000)	14
		जोड़	**1474 कि.मी.**
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण			
17बी	वर्ना	सदा	18
		कुल जोड़	**4765 कि.मी.**

बाइपास

रा.रा.	खंड	लंबाई (कि.मी.)
क) उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र		
1.	पटियाला	19.07 कि.मी.
2.	पटियाला (उत्तरी)	12.92 कि.मी.
3.	बटाला	6.34 कि.मी.
4.	गुरदासपुर (पश्चिमी)	5.226 कि.मी.
5.	संगरूर	18.99 कि.मी.
6.	रोहतक (दक्षिणी)	24.50 कि.मी.
7.	सोनीपत	8.70 कि.मी.
8.	जोधपुर	43.60 कि.मी.
9.	जैसलमेर	92.60 कि.मी.
10.	सैंचोर	23.35 कि.मी.
11.	गंगानगर	23.71 कि.मी.
12.	हनुमानगढ़ बाइपास सुधार कार्य	10.70 कि.मी.
13.	उधमपुर	17.70 कि.मी.
14.	रामबन	5.14 कि.मी.
15.	बटोट (सुदृढ़ीकरण कार्य)	1.70 कि.मी.
16.	नसरी (सुदृढ़ीकरण कार्य)	17.92 कि.मी.
17.	वोइल	33.41 कि.मी.
18.	सोपोर	5.00 कि.मी.
19.	बारामूला	1.40 कि.मी.
20.	कानाबल	5.00 कि.मी.
21.	नगरौता	14.16 कि.मी.
22.	कारगिल टाउन	12.50 कि.मी.
23.	रुद्रप्रयाग फेज ।	3.90 कि.मी.
24.	रुद्रप्रयाग फेज ।।	9.50 कि.मी.
25.	भद्र (केवल अनुरक्षण)	4.60 कि.मी.
26.	संगरिया (केवल अनुरक्षण)	6.37 कि.मी.
27.	सूरतगढ़ (केवल अनुरक्षण)	4.30 कि.मी.
ख) पूर्वी क्षेत्र		
1.	अगरतला बाइपास	13.58 कि.मी.
2.	करीमगंज बाइपास	3.84 कि.मी.
3.	सिलचर बाइपास	20.10 कि.मी.
4.	सोनापुर स्लाइड	9.46 कि.मी.

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रधानमंत्री पैकेज का वर्ष दर्शाते हैं जिसके अंतर्गत विकास/ उन्नयन कार्य शामिल किया गया था ।)

परिशिष्ट - VII

[पैरा 11.1.2]

सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अ.जा. एवं अ.ज.जा. के कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

1.1.2005 की स्थिति के अनुसार

समूह	स्वीकृत संख्या	इस समय कुल कर्मचारियों की सं.	अ.जा.	कुल कर्मचारियों के मुकाबले प्रतिशत	अ.ज.जा	कुल कर्मचारियों के मुकाबले प्रतिशत
तकनीकी						
क	217	172	25	14.53	8	4.65
ख	50	46	8	17.39	3	6.52
ग	41	31	6	19.35	2	6.45
जोड़	308	249	39	15.66	13	5.22
गैर तकनीकी						
क	40	30	5	16.7	1	3.3
ख	189	182	33	18.1	7	3.8
ग	271	253	40	15.8	6	2.4
घ	200	185	72	38.9	6	3.2
जोड़	700	650	150	23.1	20	3.1
कुल जोड़ (तकनीकी व गैर तकनीकी)	1008	899	189	38.76	33	8.32

परिशिष्ट - VIII

[पैरा 14.1.4]

सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग

(करोड़ रु.)

स्थायी पुल शुल्क निधि	
1.4.2003 को आदि शेष	178.48
2003-2004 के दौरान प्राप्तियां	94.00
2003-2004 के दौरान भुगतान	67.03
31.3.2004 को अंत शेष	205.45

(करोड़ रु.)

केंद्रीय सड़क निधि	
1.4.2003 को आदि शेष	2758.55
2003-2004 के दौरान प्राप्तियां	3033.00
2003-2004 के दौरान भुगतान	2836.45
31.3.2004 को अंत शेष	2955.10

वर्ष 2003-2004 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग का अनुदान

(करोड़ रु.)

अनुदान सं. और नाम		मूल	पूरक	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत/ आधिक्य	अभ्यर्पित
76 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	राजस्व लेखा	5611.59	4.28	5615.87	5469.96	-145.91	79.38
	पूंजी लेखा	6483.76	0.11	6483.87	5525.94	-957.93	932.09
जोड़		12095.35	4.39	12099.74	10995.90	-1103.84	1011.47

परिशिष्ट - IX

[पैरा 14.1.4]

पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय लेन-देन विवरण के अनुसार निधियों के स्त्रोत

(करोड़ रु.)

मुख्य शीर्ष	2001-02	2002-03	2003-04
(क) राजस्व प्राप्तियां	118.31	198.73	175.96
021 नैगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	17.46	17.31	17.20
0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	1.05	1.83	1.49
0049 ब्याज की प्राप्तियां	0.12	82.34	63.08
0050 लाभांश और लाभ	-		-
0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं	-		-
0071 पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के लिए अंशदान और वसूलियां	0.16	0.18	0.12
0075 विविध सामान्य सेवाएं	-	0.03	1.11
0210 चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य	0.08	0.08	0.07
0216 आवास	0.08	0.10	0.09
0852 परिवहन उपस्कर सेवाएं			-
1054 सड़क और पुल	99.31	96.77	92.70
1475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.05	0.09	0.10
(ख) पूंजीगत प्राप्तियां	18.16	31.33	116.35
7075 अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऋण	0	4.50	115.60
7601 राज्य सरकार को ऋण तथा अग्रिम	17.42	16.05	0
7602 संघ राज्य क्षेत्र को ऋण तथा अग्रिम	0	0.01	0
7610 सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.74	0.77	0.75
(ग) कुल प्राप्तियां	136.47	220.06	292.31

परिशिष्ट - X

[पैरा 14.1.4]

वर्ष 2002-2003 के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की निधियों का उपयोग

(करोड़ रु.)

विवरण	2001-02			2002-03			2003-2004		
	योजनागत	गैर-योजनागत	जोड़	योजनागत	गैर-योजनागत	जोड़	योजनागत	गैर-योजनागत	जोड़
राजस्व व्यय	**3489.57**	**1383.25**	**4872.82**	**4101.84**	**1394.62**	**5496.46**	**3946.56**	**1527.26**	**5473.82**
2049-ब्याज का भुगतान	-	11.29	11.29		5.11	5.11		1.80	1.80
2071-पेंशन का भुगतान (एम2071)	-	5.66	5.66		7.27	7.27		2.06	2.06
2075- विविध सामान्य सेवाएं	-	-	-					-	-
2235-सामजिक सुरक्षा एवं कल्याण	-	0.04	0.04		7.3	7.3		-	-
3054-सड़क एवं पुल	3163.48	858.99	4022.47	3090.33	805.21	3895.54	3046.43	909.51	3955.94
3055-सड़क परिवहन	5.17	-	5.17	27.16		27.16	34.55	-	34.55
3451-सचि. आर्थिक सेवाएं	-	38.10	38.10		35.29	35.29		35.19	35.19
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	320.90	469.17	790.07	982.16	534.44	1516.60	856.33	578.70	1435.03
3602-संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	0.02	-	0.02	2.19		2.19	9.25	-	9.25
पूंजी व्यय	**4903.40**	**272.34**	**5175.74**	**5237.92**	**254.10**	**5492.02**	**5292.31**	**234.29**	**5526.60**
5054-सड़क एवं पुल	4790.46	272.34	5062.80	4936.92	252.11	5189.03	5002.53	233.63	5236.16
7075-अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऋण	112.94	-	112.94	301.00		301.00	289.78	-	289.78
7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण	-	-	-		1.99	1.99	-	0.66	0.66
कुल जोड़	**8392.97**	**1655.59**	**10048.56**	**9339.76**	**1648.72**	**10988.48**	**9238.87**	**1761.55**	**11000.42**

परिशिष्ट - XI

[पैरा 15.1.1]

लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सारांश

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ठेकेदार की गलती के कारण कार्य पुनः सौंपने पर अतिरिक्त लागत की वसूली करने में असफलता के कारण प्राधिकरण को 4.95 करोड़ रु0 का घाटा हुआ ।

(वर्ष 2003 की रिपोर्ट सं0 3 का पैरा 20.1.2)

वाणिज्यिक

केंद्रीय सिविल सेवा (चिकित्सा सुविधा) नियमावली 1954 का उल्लंघन करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमावली के उदारीकरण के संबंध में 45.66 लाख रु0 का अनियमित भुगतान ।

(वर्ष 2003 की रिपोर्ट सं0 3 का पैरा 20.1.5)

वाणिज्यिक

मार्च, 2002 से पहले किए गए कार्य की देयता शामिल न किए जाने के कारण चालू कार्यों और वर्तमान देयताओं में 20.23 करोड़ रु0 की पूंजी का कम उल्लेख ।

(वर्ष 2004 की रिपोर्ट सं0 2 का पैरा 1.2.38 का उप पैरा 2)

वाणिज्यिक